सम्पादक
हारून रशीद
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक)	50 युएस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
SACCHA RAHI

SACCHA RAHI
A/c. No. 10863759642
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.

कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नम्बर अथवा ई–मेल पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

सितम्बर, 2020 वर्ष 19 अंक 07

कोरोना

कोरोना को या रब तू अब ले उठा
कोरोना से बन्दों को अपने बचा
कोरोना तो या रब बुरी है बला
करम कर इलाही टले ये बला
कोरोना से बचने की फ़िक्र हम करें
बिना मास्क बाहर न हरगिज़ चलें
उचित दूरी दो में बनाये रहें
मिलायें न हाथ और गले न मिलें
सफाई हम हाथों की करते रहें
खुदा से हम अपने दुआ भी करें

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर सच्चा राही नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Editing by: Qamaruzzama-9452295052

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 बिलाल अब्दुल ह़यी हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	07
आश्चर्यजनक रोग कोरोना	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	09
इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद	हज़रत मौ0 अबुल हसन अली नदवी रह0	11
खिलाफते राशिदा	मौलाना गुलाम रसूल मेहर	14
इस्लाम ने औरतों को	मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन संभली रह0	16
पुराने शिकारी नये भेस में	मौ0 सै0 मु0 वाजेह रशीद हसनी नदवी रह0	19
गाँव वाले	इदारा	21
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी	24
ईश्वरीय प्रकोप	अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी नसीराबादी	26
न्याय	मौलाना नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	27
इधर उधर से	इदारा	29
कोरोना का संदेश	तौक़ीर अहमद नदवी	30
घरेलू मसाएल	मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन संभली रह0	32
अपील बराए तामीर	इदारा	41
उर्दू सीखिए	इदारा	42

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़यी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-अल आ़राफ़ :

अनुवाद–

वह कहेगा कि तुम से पहले जिन्नातों और इन्सानों में से जो गिरोह दोज़ख में जा चुके हैं तुम भी उन्हीं में दाख़िल हो जाओ, जब भी वहां कोई गिरोह दाखिल होगा तो वह दूसरे गिरोह पर लानत करेगा यहां तक कि जब सबके सब उसमे एक–एक करके गिर जाएंगे तो अगले पिछलों के लिए बददुआ (श्राप) करेंगे कि ऐ हमारे पालनहार! उन्होंने हमें गुमराह किया तू उनको दोज़ख का दोहरा अज़ाब दे, वह कहेगा हर एक के लिए दोहरा अज़ाब है लेकिन तुम जानते नहीं[1] (38) और पिछले अगलों से कहेंगे कि तुम को हम पर कोई बरतरी (श्रेष्ठता) तो है नहीं बस जो तुम करते रहे थे उसका अज़ाब चखो[2] (39) बेशक जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे अकड़े उनके लिए न आसमान के दरवाज़े खोले जाएंगे और न वे जन्नत में प्रवेश कर सकेंगे यहां तक कि ऊँट सूई के नोक में प्रवेश कर जाये और हम अपराधियों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं[3] (40) उनके लिए दोज़ख ही का बिछौना होगा और वही ऊपर से उनको ढ़के होगी और ज़ालिमों को हम ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं[4] (41) और जो ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किए और हम किसी को ताक़त से अधिक पाबन्द नहीं करते[5] वे हैं जन्नत के लोग उसी में हमेशा रहेंगे (42) और हम उनके सीने का सारा गुबार छाँट देंगे[6] उनके नीचे नहरें जारी होंगी, और वे कहेंगे कि अस्ल प्रशंसाएं तो अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें यहां तक पहुँचा दिया और अगर वह हमें न पहुँचाता तो हम हरगिज़ न पहुँच पाते, बेशक हमारे पालनहार के रसूल सच्चाई के साथ आ चुके और उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा कि यही वह जन्नत है जिसका तुम को तुम्हारे कामों के बदले वारिस बना दिया गया[7] (43) और जन्नत वाले दोज़ख वालों को पुकार कर कहेंगे कि हमने तो, जो वादा हमारे पालनहार ने हम से किया था वह सच्चा पाया तो क्या तुमने भी जो वादा तुमसे तुम्हारे पालनहार ने किया था वह ठीक पाया, वे कहेंगे हाँ, बस एक ऐलान करने वाला उनके बीच यह ऐलान कर देगा कि अल्लाह की लानत है अन्याय करने वालों पर (44) जो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और उसमें टेढ़ ढूँढते थे और वे आख़िरत के इनकार करने वाले थे[8] (45) और उन दोनों के बीच एक आड़ होगी और अअ़राफ़[9] के ऊपर कुछ लोग होंगे जो सबको उनकी निशानियों से पहचानते होंगे और वे जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, वे अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए और उस की कामना करते हैं (46)

और उनकी निगाहें दोज़ख वालों की ओर फिरेंगी तो कहेंगे ऐ हमारे पालनहार! हमें अत्याचारियों में शामिल न कर (47) और अअ़राफ वाले उन लोगों को पुकार कर कहेंगे जिनको उनकी निशानियों से पहचानते होंगे कि न तुम्हारी जमा पूंजी तुम्हारे कुछ काम आयी और न तुम्हारी अकड़ जो तुम दिखाया करते थे(48) ये वही लोग हैं ना जिनके बारे में तुम कसमें खा खा कर कहा करते थे कि उन पर तो अल्लाह की रहमत हो ही नहीं सकती (उनसे कहा जा रहा है) कि जन्नत में दाखिल हो जाओ (जहाँ) तुम पर न कोई भय होगा और न तुम दुखी होगे[10](49) और दोज़ख वाले जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे हमें भी कुछ पानी में से या जो रोज़ी आपको मिली है उसमें से कुछ हमें भी प्रदान हो, काफिरों के लिए तो अल्लाह ने इन दोनों चीज़ों पर रोक लगा दी है(50) जिन्होंने अपने धर्म को खेल तमाशा बना लिया था और दुन्या के जीवन ने उनको धोखे में डाल रखा था, आज हम भी उनको भुला देते हैं जैसे वे इस दिन की मुलाक़ात को भुला बैठे थे और जैसे वे हमारी निशानियों का इनकार करते रहे थे[11](51)

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. पिछलों को इसलिए कि वे अगलों की गुमराही का कारण बने और अगलों को इसलिए कि उन्होंने पिछलों से शिक्षा न ली।

2. यानी तुम ने हमारे लिए दोहरे अज़ाब की प्रार्थना कर भी ली तो तुम्हें क्या मिला तुम्हें भी वैसे ही अज़ाब का मज़ा चखना है।

3. असम्भव बात के लिए यह मुहावरा है जब किसी चीज़ को बहुत जोर दे कर नकारना हो तो इस का प्रयोग करते हैं।

4. यानी हर ओर से वे आग के घेरे में होंगे।

5. यह व्यवहारिक वाक्य है जिससे चेताया जा रहा है कि ईमान व अच्छे काम जिस पर इतने महान बदले का वादा है कि ऐसे काम नहीं जो इंसान की ताक़त से बाहर हों।

6. जन्नत की नेमतों (सुख सामग्रियों) के बारे में उनसे कोई ईर्ष्या व जलन न होगा और एक दूसरे को देख कर खुश होंगे और दुन्या में जो संकोच हो रहा था वह भी न रहेगा।

7. यह ऐलान करने वाला अल्लाह की ओर से कोई फरिश्ता होगा कि सारी मेहनत ठिकाने लगी और तुमने कोशिश करके खुदा की कृपा से अपने पिता आदम की पैतृक संपत्ति सदा के लिए प्राप्त कर ली।

8. यह वह बातचीत है जो जन्नत वालों और दोज़ख वालों में होगी जिससे जन्नत वालों की खुशी और इतमीनान में बढ़ोतरी होगी और दोज़ख वालों की निराशा और अभिलाषा में।

9. दोज़ख और जन्नत के बीच में दीवार होगी उसके बिल्कुल ऊपरी भाग को ऐसा लगता है अअ़राफ़ कहा गया है उस पर वे लोग होंगे जिनकी अच्छाईयाँ और बुराईयाँ बिल्कुल बराबर हैं न वे जन्नत के हकदार हुए और न दोज़ख के, अंत में जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे।

10. जिन कमज़ोरों के बारे में घमण्ड़ियों का कहना था कि ''क्या यही वे लोग हैं जिनको अल्लाह ने उपकार के लिए हममें चुना है, उन्हीं कमज़ोरों की ओर इशारा करके अअ़राफ़ वाले दोज़ख वालों से कहेंगे और यह सुन सुन

शेष पृष्ठ .....28....पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

ऊँटों और पशुओं की गर्दन में घंटा बांधने की मुमानियतः–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जिस काफिले में कुत्ता और घंटी होती है फरिश्ते उस काफिले के साथ नहीं होते। (मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया की घंटी शैतान के बाजों में से एक बाजा है। (बुखारी)

जल्लाला ऊँट (गंदगी खाने वाले ऊँट) पर सवारी करने की मुमानियतः–

हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जल्लाला ऊँट पर सवार होने से मना फरमाया है। अर्थातः गंदगी खाने वाले ऊँट पर सवार होने से। (अबू दाऊद) मना करने की हिकमत यह भी हो सकती है कि उसके पसीने में दुर्गंध होती है।

मस्जिद में थूक खंकार की मुमानियतः–

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में थूकना बुरा है और उसका कफ़्फ़ारा यह है कि उसको मिटटी से दबा दिया जाये। (बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत आयशा रज़ि0 से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किब्ले की दीवार में नाक थूक या खंकार देखा तो उसको खुरच डाला।

(बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया यह मस्जिदें मल मूत्र जैसी नापाक चीजों के लिए नहीं हैं यह तो अल्लाह का जिक्र करने और कुर्आन पाक पढ़ने के लिए हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जैसा फरमाया। (मुस्लिम)

हज़रत बुरैदा रज़ि0 से रिवायत है कि एक आदमी मस्जिद में तलाश करता हुआ पहुंचा और कहा कि कोई लाल रंग के ऊँट का पता बता सकता है, आप ने फरमाया खुदा करे तुम को न मिले। यह मस्जिदें जिस काम के लिए बनाई गई हैं उसी के लिए हैं।

(मुस्लिम)

मस्जिद में शेअ़र पढ़ने की मुमानियतः–

हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मस्जिदों में बेचने–खरीदने, गुमशुदा चीज के तलाश करने से और शेअ़र पढ़ने से मना फरमाया है।

(अबू दाऊद–तिर्मिजी)

हज़रत साइब बिन यजीद रज़ि0 सहाबी से रिवायत है कि मैं मस्जिद में था एक शख्स ने मुझे कंकरी मारी, मैंने निगाह फेर कर देखा तो वह हज़रत उमर रज़ि0 थे, मुझ से कहा उन दोनों आदमियों को पकड़ लाओ, मैं पकड़ लाया, तो हज़रत उमर रज़ि0 ने उन से पूछा तुम कहां के रहने वाले हो, उन्होंने कहा कि हम ताइफ के रहने वाले हैं, हज़रत उमर ने कहा कि अगर तुम इस शहर के होते तो मैं तुम को सजा देता इस वजह से कि तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद में आवाज़ बुलन्द की है। (बुखारी)

लहसुन, प्याज या कोई बदबूदार चीज़ खा कर मस्जिद में आने की मुमानियतः-

हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो शख्स लहसुन खाये वह हमारी मस्जिद में हरगिज़ न आये। (बुखारी–मुस्लिम) मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि हमारी मस्जिदों में न आये। लहसुन से मुराद कच्चा लहसुन है।

हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो लहसुन खाये न वह हमारे करीब हो, न हमारे साथ नमाज़ पढ़े। (बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो लहसुन या प्याज खाये वह हमसे अलग रहे या हमारी मस्जिद से अलग रहे। (बुखारी–मुस्लिम)

मुस्लिम की एक रिवायत में है कि जो शख्स प्याज या लहसुन और गंदना खाये वह हमारी मस्जिदों में हरगिज न आये, इसलिए कि जिस चीज से आदमियों को तकलीफ होती है उससे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है।

हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ि0 से रिवायत है कि उन्होंने जुमे के दिन खुत्बा दिया और खुत्बे में फरमाया ऐ लोगो तुम लहसुन और प्याज खाते हो और मैं दोनों को बुरा समझता हूं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा कि जब किसी आदमी के मुंह से उसकी दुर्गन्ध आती तो आप उसको निकाल देते थे और आदेश देते थे कि बक़ीअ़ तक चला जाये, पस जिस को लहसुन प्याज खाना भी हो तो उसको इतना पकाये कि उसकी दुर्गन्ध खत्म हो जाये। (मुस्लिम)

❖❖❖

–प्रस्तुति–
जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

माफ करने की फज़ीलत

जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कुसूर माफ कर देते हैं ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं।

(सूरः आले इमरान-134)

आश्चर्यजनक रोग "कोरोना"

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

समस्त प्रशंसाएं केवल अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की प्रशंसा (हम्द) करते हैं, उसी से मदद माँगते हैं, उसी से क्षमा (मग़्फ़िरत) माँगते हैं और उस पर सुदृढ़ ईमान रखते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं, अपने बुरे कर्मों और अपने नफ़्स की बुराइयों से अल्लाह की पनाह माँगते हैं, वह जिसको हिदायत दे (सत्य मार्ग दर्शाये) उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता लेकिन वह जिसको हिदायत न दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद (पूज्य) नहीं है, वह अकेला है उसका कोई साझी नहीं है, हम गवाही देते हैं कि मुहम्मद अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं, हम उन पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह मुहम्मद सल्ल0 पर रहमतें उतारे और बहुत बहुत सलाम उतारे उनकी आल पर भी, अस्हाब पर भी, और अज़्वाज पर भी अल्लाह रहमतें और सलाम उतारे।

ऐ अल्लाह! हम तेरी रहमत के वास्ते से तेरी रहमत और कृपा माँगते हैं तू तो सब पर रहम करने वाला है।

हमारा ईमान है कि अल्लाह की मरज़ी के बग़ैर कुछ नहीं होता, उसके चाहे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, सारे रोग उसी के भेजे हुए हैं, कोरोना भी उसी का भेजा हुआ रोग है, वही रोगों से शिफ़ा (स्वास्थ्य) देता है, लेकिन जहाँ उसने रोग उतारे हैं वहीं उसने रोगों की दवा उतारी है, लेकिन कोई दवा निश्चित तौर पर नहीं बताई, इसको मनुष्य की बुद्धि पर छोड़ दिया, मनुष्य ने जब रोग की दवा खोजी तो उसने हर रोग की निश्चित दवा ढूँढ ली यहां यह धोखा न हो कि जब अल्लाह ने रोग उतारा है और अल्लाही ही शिफा देता है तो दवा की क्या ज़रूरत, अल्लाह ही से शिफा माँगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने स्वयं दवा की है और दवा बताई भी है, तिब्बे नबवी में इसको देखा जा सकता है, अतः दुआ़ के साथ दवा करना भी अनिवार्य है।

यह हमारी बदक़िस्मती है कि हमारे माहिरीन (विशेषज्ञ) कोरोना की निश्चित दवा अब तक न पा सके, अन्यथा वह तो कैंसर जैसे रोग का भी इलाज निकाल लिये हैं, टी0बी0 का इलाज निकाल लिया, ज़ियाबेतीस (मधुमेह) पर कंट्रोल करने की दवाएं निकाल लीं, मगर कोरोना की निश्चित दवा न पा सके, अलबत्ता माहिर डॉक्टरों ने अपने विचार से कुछ दवाओं

से मदद ले कर कोरोना का इलाज शुरु किया और जून 2020 तक बहुत कुछ सफल भी हुए।

कोरोना से बचाव के कुछ उपाय निकाले, उनमें दो जनों के बीच उचित दूरी रखना, बाहर निकलने पर मास्क पहनना, किसी से मुलाक़ात हो तो न उससे हाथ मिलाएं न गले मिलें। ऐसा लगता है इन तदबीरों पर अमल किया जाए तो संक्रमण से बचा जा सकता है, लेकिन बड़े खेद की बात है कि प्रतिदिन 15 हज़ार रोगी बढ़ने लगे, ये जून के महीने की बात है, क्या यह लोग बताये हुए उपायों पर अमल नहीं करते थे? सरकार को चाहिए कि इसकी खोज करे और ऐलान किया जाय कि जो लोग बताये हुए निर्देशों पर अमल नहीं करते वही कोरोना में ग्रस्त होते हैं अतः उन निर्देशों का पालन अनिवार्य है, जून माह के अन्त और जुलाई के आरम्भ में तो यह रोग थोक के हिसाब से बढ़ने लगा। चार लाख हुए, फिर जल्द ही पाँच लाख हो गये और शीघ्र ही सवा छह लाख हो गये यद्यपि ठीक होने वालों का दर बाराबर साठ प्रतिशत से ऊपर हो गया था, फिर भी दो लाख सत्ताइस हज़ार रोगी अस्पतालों में इलाज करा रहे थे, यह बात भी स्पष्ट न हो सकी कि जिन लोगों का उपचार अस्पतालों में हो रहा था उनका खर्चा कौन वहन करता है, उनकी देख भाल केवल नर्सें करती हैं या घर के किसी व्यक्ति को अनुमति होती है? यह बातें रोगी जानता है या सरकार। अब तक मीडिया में नहीं आ सकीं।

जुलाई के आख़िर तक तो रोगियों की संख्या 12 लाख से ऊपर हो गई थी यद्यपि ठीक होने वालों की संख्या 63 फीसद चल रही थी फिर भी साढ़े चार लाख से ऊपर रोगी हास्पिटल में थे इरादा था कि इस लेख में 15 अगस्त तक का हाल लिखूंगा मगर बक़रईद की छुट्टी के सबब इस को पहले ही पूरा करना पड़ रहा है मगर ऐसा लगता है कि 15 अगस्त तक रोगियों की संख्या 25 लाख तक पहुंच जायेगी और मरने वालों की वंख्या 40 हज़ार से ऊपर हो जायेगी।

लोग भी परेशन हैं और हुकूमत भी, मोदी महोदय नित नये उपाय निकालते हैं परन्तु ईश्वर से कौन लड़ सकता है। ख़ुशी की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका खोज लिया है परन्तु वह टीका अभी परीक्षण काल में है परीक्षण सफलता की ओर अग्रसर है फिर भी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टीके के मार्केट में आम होने में कम से कम दो महीने लगेंगे अल्लाह जाने दो महीने तक क्या होगा हम आशा करते हैं कि टीके को सफलता मिलेगी और कोरोना से छुटकारा मिलेगा।

हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि टीका कामयाब हो और कोरोना से नजात

शेष पृष्ठ .....25....पर

–पिछले अंक से आगे

इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद

–हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी (रह0) – अनुवादकः मुहम्मद हसन अंसारी

नबूवत (दूतकर्म)का असल कारनामा

कुर्आन में आख़िरत का बयान और उसके तर्क :–

आखिरत पर ईमान की विशेषतायेंः–

एक पक्का अकीदा (विश्वास) एक सही और बे ऐब बीज की तरह है जब दिल की ज़मीन में यह बीज पड़ जाये और ज़मीन इसको कुबूल कर ले और फिर इसे पानी भी मिले और देख भाल भी हो तो इससे एक हरा–भरा पौधा ज़ाहिर होता है, फिर वह पेड़ बनता है जो पूरी ज़िन्दगी को अपने साये में ले लेता है।

आख़िरत पर ईमान भी एक बीज है जो अपनी स्वयं की विशेषतायें रखता है जब इस बीज की सही बढ़त हो जाती है तो आचरण व आमाल, सीरत व किरदार, चाल–ढाल, बात–चीत कोई चीज़ इसके असर से वंचित नहीं होती। आख़िरत के एक कानने वाले और उसके इन्कार करने वाले की ज़िन्दगी और सीरत में वही फर्क़ होता है जो विभिन्न बीजों से पैदा होने वाले पेड़ों की डालों, पत्तों और फलों में होता है। यह दो अलग–अलग साँचे हैं जिनमें दो अलग–अलग प्रकार की सोचें ढल कर निकलती हैं।

इन दोनों में सैद्धांतिक अन्तर यह होता है कि आस्था रखने वाला जल्दी मिलने वाली चीज़ की तुलना में देर से मिलने वाली चीज़, नक़द के मुकाबले में कज़, मिट जाने वाली खुशी के मुकाबले में हमेशा की राहत का इच्छुक होता है। कुर्आन मजीद ने इस सैद्धान्तिक अन्तर को अपनी आयतों में बार–बार स्पष्ट किया है दुन्या को वह आजिला (जल्दबाजी) कहता है और मौत के बाद की ज़िन्दगी को आख़िरत कहता है और दोनों में वह चयन की इजाज़त देता है।

अनुवादः– *जो व्यक्ति जल्द मिलने वाली (दुन्या) का इच्छुक हो तो हम उसमें से जिसे चाहते हैं और जितना चाहते हैं जल्द दे देते हैं, फिर हमने उसके लिए दोज़ख को निश्चित कर रखा है जिसमें वह दाख़िल होगा इस हाल में कि विरस्कृत ठुकराया हुआ होगा, और जो व्यक्ति आख़िरत का इच्छुक होगा और उसके लिए कोशिश करेगा जैसी कोशिश करना चाहिए, शर्त यह है कि वह ईमान वाला भी हो, तो उनकी कोशिश कुबूल की जाएगी।*

(सूरः इस्रा 18–19)

यह दो अलग–अलग प्रकार की खेतियाँ जो अभी बोई जाये और आख़िरत में काटी जाय, दूसरी जो तुरन्त बोई जाये और तुरन्त काट ली जाय। कुर्आन ने जहाँ दोनों खेतियों का उल्लेख किया है, वहां एक बड़ा बारीक फर्क रखा है। फरमाया है कि जो आख़िरत की खेती चाहेगा

हम उसमें बरकत बढ़ोत्तरी अता फरमायेंगे, और जो दुन्या की खेती चाहेगा हम उसको उसमें से दे देंगे, अर्थात एक का नतीजा तुरन्त सामने और दूसरे के नतीजे के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

अनुवादः— *जो व्यक्ति आख़िरत की खेती का इच्छुक हो, हम उसकी खेती को बढ़ाते हैं। और जो दुन्या की खेती का इच्छुक हो, हम उसमें से उसे कुछ देते हैं और आख़िरत में उसका कोई हिस्सा नहीं।*

(सूरःअश—शूरा 20)

आख़िरत का इन्कार करने वाले की इस जल्दबाजी की मानसिकता को साफ—साफ बयान किया गया हैः—

अनुवाद— *कदापि नहीं! तुम तो दुन्या चाहते हो, और आख़िरत को छोड़े हुए हो।*

(सूरः क़यामः 20—21)

अनुवाद— *निःसंदेह यह लोग बस दुन्या से प्रेम करने वाले हैं और अपने आगे आने वाले बड़े भारी दिन का ध्यान छोड़े हुए हैं।*

(सूरः अद्—दहर 27)

इन्हीं लोगों के बारे में कहा गया—

अनुवाद— *फिर उनके बाद उनके वह उत्तराधिकारी आए, जो किताब (तौरात) के वारिस हुए और (इसी के द्वारा) इसी दुन्या का सामान समेटने लगे, इसको मामूली गुनाह समझने लगे और कहा, हमें तो ज़रूर माफ़ कर दिया जाएगा और अगर इस जैसा और सामान भी उनके पास आ जाए तो वे उसे भी ले लेंगे, क्या इनसे किताब में इसका अहद (प्रतिज्ञा) नहीं लिया गया कि अल्लाह पर सत्य के अतिरिक्त कोई बात न गढ़े और उन्होंने इस ग्रन्थ के आदेशों को पढ़ा भी है और आख़िरत तो उन लोगों के लिए बेहतर है, जो डर रखते हैं, क्या तुम अक़्ल से काम नहीं लेते?*

(सूरः अल्—अअ़राफ़ 166)

दोनों के लक्ष्य और मक़सद में भी अंतर होता हैः—

अनुवाद— *और कुछ लोग ऐसे हैं, जो प्रार्थना करते हैं 'ऐ हमारे रब! हमको (जो देना हो) दुन्या में दे दे "और ऐसे लोगों का आख़िरत (परलोक) में कोई हिस्सा नहीं और उनमें कुछ ऐसे हैं, जो दुआए मांगते हैं, कि ऐ हमारे रब! हमें दुन्या में भी अच्छा जीवन दे और आख़िरत में भी अच्छा जीवन प्रदान कर दे और हमें आग के अ़ज़ाब (यातना) से बचा।*

(सूरः अल्—बकरह् 200—201)

ज़िन्दगी और दुन्या के बारे में दोनों की सोच एक दूसरे से सैद्धान्तिक रूप से अलग—अलग होती है एक कहता हैः—

अनुवाद— *ऐ मेरी क़ौम! यह दुन्या की ज़िन्दगी तो बस थोड़े फायदे की चीज़ है, और आख़िरत ही असल ठिकाना का घर है।*

(सूरः अल्—मोमिन 36)

दूसरा कहता हैः—

अनुवाद—

यहाँ हमारे लिए बस यह सांसारिक जीवन है और हमें इसी दुन्या में मरना और जीना है और हम दुबारा जीवित नहीं किये जायेंगे।

(सूरः अल्—मोमिन 37)

आख़िरत के अक़ीदे के साथ घमण्ड, बड़ा बनने का शौक और ज़मीन में दंगा व फसाद और तोड़—फोड़ की भावना इकट्ठा नहीं हो सकती। इन उद्देश्यों व चरित्र का इस अकीदे (विश्वास) की प्रकृति से कोई संबंध नहीं। कुर्आन ने साफ—साफ कह दियाः—

अनुवाद— *आख़िरत का यह घर (स्वर्ग तथा उसकी नेमतें) हम उन लोगों के लिए ख़ास करते हैं जो न तो ज़मीन पर अपनी*

बड़ाई चाहते हैं और न फसाद और अच्छा अंजाम केवल परहेज़गारों के लिए है।

(सूरः कसस 83)

इसी लिए एक आख़िरत को मानने वाले के जीवन में बड़ा बनने की भावना पैदा नहीं होती, सत्ताधारी होने पर भी उसकी बन्दगी व विनम्रता की आदत नहीं जाती, बल्कि जितना उसे सरबुलन्दी हासिल होती है उतना अधिक वह विनम्र होता है उसको जब ताक़त और दौलत हासिल होती है तो वह एक आख़िरत का इन्कार करने वाले (क़ारून) की तरह नहीं बोल उठता किः–

अनुवादः *यह तो मुझे अपनी क़ाबिलियत (व्यक्तिगत ज्ञान) की वजह से मिला है।*

(सूरः कसस 78)

बल्कि एक सच्चे और आख़िरत को मानने वाले (सुलैमान अलैहिस्सलाम) की तरह कहता हैः–

अनुवाद– *''यह मेरे रब का फ़ज़ल (अनुग्रह) है, ताकि वह मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ अथवा नाशुक्री।*

(सूरः अं–नमल 40)

वह जब अपने हाथों को खुला हुआ और अपने राज्य को फैला हुआ देखता है तो फिरऔन की तरह यह नहीं कह उठताः–

अनुवाद– *क्या मिस्र का राज्य मेरा नहीं यह नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं। (सूरः अज़्ज़ुख़रूफ)*

कौन मुझ से अधिक शक्तिमान है।

बल्कि एक पैगम्बर बादशाह की तरह उसका दिल खुदा की तारीफ़ और उसके शुक्र से झुक जाता है और सहज पुकार उठता हैः–

अनुवादः– *ऐ 'रब'! तौफ़ीक़ (सामर्थ्य) दे कि मैं तेरे उन पुरस्कारों का शुक्र अदा करता रहूँ जो तूने मुझ पर और मेरे माँ–बाप पर किया है, और यह कि मैं ऐसे अच्छे काम करूँ जो तुझे पसंद आएं और अपनी रहमत से मुझे अपने भले बन्दों में दाख़िल कर।*

(सूरः अं नम्ल 16)

वह दुन्या की इस सत्ता पर संतुष्ट नहीं होता, वह जानता है कि असल इज़्ज़त आख़िरत (परलोक) की इज़्ज़त है, और असल दौलत ख़ुदा की सच्ची गुलामी की दौलत है, इसलिए वह ख़ुदा के इनामों के शुक्र के साथ, जिस आख़िरी चीज़ की इच्छा करता है वह यह है कि दुन्या से एक सच्चे आज्ञापालक की तरह उठे और खुदा के नेक बन्दों में शामिल हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं–

अनुवाद– *ऐ मेरे रब! तूने मुझे हुकूमत दी और सपनों की तअ़बीर (स्वप्नार्थ) का ज्ञान दिया और उसके द्वारा वास्तविकताओं को समझने की प्रतिभा भी प्रदान की।। ऐ आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, दुन्या और आख़िरत (लोक परलोक) में तू ही मेरा संरक्षक है, अब तू मुझे इस्लाम की हालत में दुन्या से उठा ले और मुझे भले बन्दों में शामिल कर दे।*

(सूरः यूसुफ़ 101)

आखिरत पर अक़ीदा रखने वाला दुन्या की रुसवाई के मुकाबले में आख़िरत और हश्र के मैदान में रुसवाई से ज़ियादा डरता है। वह उसे सोच कर काँप जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हैः–

अनुवादः– *हे अल्लाह! मुझे उस दिन रुसवा न करना, जिस दिन*

शेष पृष्ठ .....28....पर

ख़िलाफ़ते राशिदा

—मौलाना गुलाम रसूल मेहर —प्रस्तुतिः मु0 गुफ़रान नदवी

हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु

हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ि0 का अन्तिम काल और फ़ितनों की शुरूआतः–

हज़रत उस्मान रज़ि0 की ख़िलाफत के पहले 6 साल बड़े इत्मीनान से गुज़र गये, फिर फ़ितने उठने लगे, वास्तविक बात यह है कि जो क़ौमें नई–नई मुसलमान हुईं थीं, इस्लाम उनके दिल में नहीं उतरा था, कुछ लोग ऐसे भी थे जो मैदाने जंग में शिकस्त खा कर सर झुकाने पर मजबूर हो गये लेकिन उनके दिलों में अदावत की आग सुलगती रही, उन्होंने मुसलमानों के भेस में उम्मत के लिए फूट और तफ़रके (विभेद) के दरवाज़े खोल दिये, कभी कोई एतराज़ (आक्षेप) कर दिया, कभी कोई सवाल उठाया, कभी किसी से कह दिया फ़लाँ काम ठीक नहीं हो रहा, सीधे साधे लोग उनके बहकावे में आ गये।

हज़रत उस्मान रज़ि0 बड़े नेक, नर्म दिल हलीम सहनशील बुज़ुर्ग थे, वह किसी पर सख़्ती के रवादार (पक्षपाती) न थे, इस वजह से उपद्रव करने वालों के हौसले बढ़ गये, उनमें सबसे बड़ा उपद्रवकारी, अब्दुल्लाह बिन सबा नाम का एक यहूदी था, जो दिखावे में मुसलमान बन गया था।

बग़ावत का ज़ोरः–

हज़रत उस्मान रज़ि0 पर जो इलज़ाम लगाये जाते थे, उनकी तहक़ीक़ात (इन्क्वारी) भी हुई और सब इलज़ामात ग़लत साबित हुए, लेकिन फ़ितने की आग न दबी, मौक़ा पा कर कूफ़ा, बसरा और मिस्र के शरीरों ने आपस में बात पक्की कर ली, ज़ाहिर दिखावे में हज करने के इरादे से अपने अपने केन्द्रों से निकल कर मदीना मुनव्वरा पहुंच गये और हज़रत उस्मान रज़ि0 से खिलाफत छोड़ देने का मुतालबा किया, हज़रत उस्मान रज़ि0 एक गरोह के कहने पर खिलाफ़त क्यों कर छोड़ सकते थे, एक मौक़े पर हज़रत उस्मान रज़ि0 खुतबा दे रहे थे, शरीर पत्थर बरसाने लगे यहां तक कि हज़रत उस्मान रज़ि ज़ख़मी हो कर गिर गये। बाज सहाबियों ने राये दी कि फ़ौज बुला ली जाये, हज़रत उस्मान रज़ि0 ने इनकार कर दिया और फरमायाः–

"मैं मुसलमानों के दरमयान लड़ाई कराने को तैयार नहीं और रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हरम में ख़ून न बहने दूंगा, यह राये भी दी गई कि मदीना मुनव्वरा से निकल कर शाम चले जायें, फरमाया मैं रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पड़ोस नहीं छोड़ सकता, मक्का मुअज्जमा जाने से इसलिए इनकार किया, कहीं वहां खून बहने की नौबत न आये

जिसकी वजह से हुरमत वाले शहर की हुरमत (प्रतिष्ठा) को नुक़सान पहुंचे।

शहादतः–

हालात बहुत बिगड़ गये, हज़रत अली रज़ि0 और बाज़ दूसरे बुजुर्गों ने अपने बेटों और अज़ीज़ों को हज़रत उस्मान रज़ि0 के दरवाज़े पर बिठा दिया था ताकि कोई शरीर अन्दर न घुस सके, उस नेक दिल, सदाचारी बुजुर्ग पर पानी भी बन्द कर दिया गया जिसने बीस हज़ार दिरहम ख़र्च करके मुसलमानों के लिए पानी का इन्तिज़ाम किया था, आख़िर चन्द शरीर घर के पीछे से छत पर चढ़ कर अन्दर कूदे और रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तीसरे जानशीन (उत्तरा–धिकारी) हज़रत ज़ुननूरैन रज़ि0 को तिलावते क़ुरआन की हालात में शहीद कर दिया, हरम पाक में क़ियामत बपा हो गई, छोटे बड़े डाढ़े मार मार कर रोये, हज़रत उस्मान रज़ि0 के पाक ख़ून से कुर्ता रंगीन हुआ था, वह शाम में हज़रत अमीर मुआ़वियह रज़ि0 के पास पहुंचा, लोगों ने यह कुर्ता देखा तो हर तरफ़ मातम की सफ़ बिछ गयी।

हज़रत उस्मान रज़ि0 ने एक मौक़े पर बाग़ियों उपद्रयों से कहा था कि मैंने हालात के सुधारने में पूरी कोशिश की, इन्सान हूँ भूलचूक हो गई होगी लेकिन– ''अगर मुझे क़त्ल करोगे तो फिर न एक साथ नमाज़ पढ़ोगे और न एक साथ जिहाद करोगो''

यह पेशीनगोई (भविष्य वाणी) हरफ़ ब हरफ़ पूरी हुई।

कफ़न दफ़नः–

हज़रत उस्मान रज़ि0 18, ज़िलहिज्जह 35 हिजरी (17 नवम्बर 641 ई0) को जुमे के दिन शहीद हुए, बाग़ी मदीनह मुनव्वरा पर इस तरह मुसल्लत हो गये थे, कि तीन दिन तक जनाज़ह पड़ा रहा और किसी को दफ़न करने का हौसला न हुआ तीसरे दिन बाज़ सहाबियों ने गुप्त रूप से जनाज़ह उठाया, नमाज़ पढ़ी और मदीने के मशहूर क़ब्रिस्तान, जन्नतुल बक़ी से बाहर एक कोने में दफ़न कर के क़ब्र का निशान मिटा दिया ताकि कोई शरीर मैयत की बेहुरमती (अपमान) न करे।

सीरत और ख़िलाफ़तः–

हज़रत उस्मान रज़ि0 बड़े ही हलीम (सहनशील) नर्म दिल, नेक और मआ़फ कर देने वाले बुज़ुर्ग थे, उनकी दौलत बे दरेग़ (निःसंकोच) इस्लाम की राह में ख़र्च हुई, चूंकि मालदार थे, इसलिए ख़िलाफ़त के ज़माने में बैतुल माल (राज कोष) से एक कौड़ी भी न ली, हया (लज्जा) का यह आलम था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मरतबा फ़रमाया ''उस्मान रज़ि0 की हया से फ़रिशते भी शरमाते हैं।'' अगरचि घर में बीसियों नौकर चाकर थे, तहज्जुद के लिए उठते तो किसी को न जगाते, ख़ुद ही वज़ू के लिए पानी ले लेते, बड़े फ़य्याज़ (दान शील) थे,

शेष पृष्ठ .....40....पर

इस्लाम ने औरतों को सब से ज़ियादा हूक़ूक़ दिये

—मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन संभली रह0

—हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

गैर मुस्लिमों का एतेराफ

औरतों के हुकूक़ की रिआयत का जहाँ तक तअल्लुक़ है, इस के बारे में बहुत से मुंसिफ़ मिज़ाज वाक़िफ कार गैर मुस्लिमों ने भी बरमला एतेराफ किया है, कि इतने हुकूक़ किसी क़ानून में औरतों को नहीं दिए गए जितने इस्लामी शरीअत ने उसे दिए हैं, इस बात की शहादत साबिक वज़ीरे आज़म हिन्द आँजहानी राजीव गाँधी का वह एतेराफ है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के शाह बानो केस में नफ़क़ए मुतल्लक़ा से मुतअल्लिक़ फैसला के ख़िलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बोर्ड़ के सद्र हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रह0 की सरपरस्ती में चलाई गई मुहिम के दौरान मुस्लिम उलमा के ज़रीआ क़ानूने शरीअत पर मुत्तला होने के बाद जनवरी 1986 ई0 में अपने एक अखबारी इण्टरव्यू के अन्दर कहते हुए किया। ''इस्लामी क़्वानीन हमारे क़ानून से बढ़ कर औरतों के हुकूक़ व मफ़ादात के ज़ामिन हैं'' (कारवाने जिन्दगी 3/140)

उनके अलावा दीगर बाख़बर गैर मुस्लिमों की शहादत और एतेराफ के लिए देखिए खुत—बए—सदारत इजलास अहमदाबाद 1995 ई0 अज़ हज़रत मौलाना सय्यिद अबुल हसन अली नदवी रह0 क़रीब क़रीब इसी तरह का अ़मली एतेराफ उनकी वालिदा इन्दिरा गाँधी ने अपने जमान—ए—वज़ारते उज़्मा में (1973 ई0 या 1974 ई0 के अन्दर सी0आर0पी0सी0 की दफा नम्बर 127 में पार्लियामेन्ट के ज़रिआ तरमीम करवा कर किया था, जब उन्हें मुस्लिम उलमा के ज़रीआ मालूम हुआ कि मुसलमान की बीवी को शौहर की तरफ से तमाम ज़रूरी इख़्राजात (खाना, कपड़ा, मकान वगैरा) के अलावा महेर के नाम से भी एक रक़म का हक़ हासिल होता है, जो उमूमन बड़ी रक़म होती है, तो वह यह जान कर न सिर्फ हैरान बल्कि इतना मुतअस्सिर हुई कि उन्होंने मुसलमान मुतल्लक़ा औरत को ताहयात (या ता निकाह सानी) नफ़क़ा दिलाने वाली दफा को मुसलमान औरतों के हक़ में मज़कूरा तरमीम से महदूद करवा दिया (''दावत'' देहली का मुस्लिम पर्सनल लॉ नम्बर) लेकिन इस तरमीम की इफ़ादियत को मुख़्तलिफ़ हाईकोर्ट के जजों ने अपनी तश्रीहात के ज़रीआ कम बल्कि ख़त्म कर दिया और रही सही कसर सुप्रिम कोर्ट के शाह बानो केस के फैसले ने 1985 ई0 में पूरी कर दी, जिस का तदारुक कराने में मुस्लिम पर्सनललॉ बोर्ड को बहुत मेहनत करनी पड़ी, इस के बाद पार्लियामेन्ट से जो नया क़ानून पास हुआ, उससे भी बस थोड़ी ही तलाफी हो सकी, मगर उसे भी कई हाई कोर्ट के जजों ने अपने फैसलों से बे असर बना दिया।

मुस्लिम पर्सनल ला के यूँ तो बहुत से अज़जा पर एतेराज़ात किये जाते हैं, और उन्हें ज़ालिमाना और हुकूक़ निस्वां को पामाल करने वाला बताया जाता है, लेकिन उनमें तलाक़, तअद्दुद

अज़दवाज और वरासत के क़वानीन को बतौरे खास निशाना बनाया जाता है, हालांकि जो हक़ीक़त पसन्द, मुन्सिफ़ मिज़ाज उन का गहराई से मुताला करेगा वह यह एतेराफ़ किये बगैर नहीं रह सकेगा कि उससे ज़ियादा मुतवाज़िन मुंसिफाना कोई क़ानून नहीं और फ़ितरते इंसानी की इतनी रिआयत किसी भी दूसरे क़ानून में नहीं मिलती लेकिन नाक़िस मुताला या तअस्सुब की ऐनक से वह ऐसे नज़र न आएं तो हैरत की बात नहीं।

क़ानूने तलाक़:-

मज़कूरा बाला तफ़्सील से इस्लाम के क़ानून तलाक़ में सिर्फ मर्द को तलाक़ का इख़्तियार देने की हिक्मत भी समझ में आ जाती है, कि तलाक़ के नतीजे में सरा सर माली नुक़्सान मर्द ही का होता है, औरत के लिए तो बहुत सी आमदनी की शक्लें निकल आती हैं।

सही इस्लामी मुआशरा में औरत का, ख़्वाहा मुतल्लक़ा हो या बेवा, निकाहे सानी भी आसानी से हो जाता है, बल्कि बसा औक़ात उसे इद्दत के दिन पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं कि दूसरे निकाह के ख़्वाहिशमंद पैदा हो जाते हैं (ग़ालिबन इसी वजह से कुर्आन मजीद में औरतों को इद्दत के दरमियान पैगाम साफ तौर पर देने से मना किया गया है) और फिर अगर औरत को अपने शौहर से जाइज़ शिकायात हों और उनके खतम करने की कोई सबील न निकल रही हो तो उसे खुला और फ़स्ख़े निकाह जैसे मवाके इस्लामी क़ानून में दिये गये हैं जिनके ज़रीआ वह ज़ालिम शौहर से गुलू ख़लासी करा सकती है, फिर शौहर को तलाक़ का हक़ भी ऐसा आज़ादाना नहीं दिया गया है जैसा कि आम तौर पर ज़ेहनों में ग़लत खयाल पैदा हो गया है (इस खयाल में मुसलमान मर्दों के बे जा हक़ तलाक़ इस्तेमाल करने का भी बड़ा दख़ल है) बल्कि तलाक़ देने से पहले और भी कई मराहिल से गुज़रने का हुक्म दिया गया है, आख़िरी रास्ते के तौर पर तलाक़ देने की इजाज़त दी गई है। जब कि दोनों में निबाह की शक्ल ही नज़र न आती हो और उन दोनों का ज़बरदस्ती निकाह के बंधन में बंधे रहना दोनों के लिए, बल्कि दोनों के ख़ानदान वालों के लिए वबाले जान बन रहा हो, फिर उस में ऐसी सख़्ती भी नहीं बरती गई कि अदालत के वास्ते के बगैर तलाक़ वाक़े ही न की जा सकती हो, बल्कि ऐसी नाखुशगवार सूरते हाल से निकलना और छुटकारा पाना भी आसान बना दिया गया है, क्योंकि अदालत में मुकद्दमात के चक्कर में पड़ कर बसा औक़ात तलाक़ देना और लेना इतना ख़रचीला और परेशान कुन अमल होता जा है कि इन्सान उससे बचने के लिए बाज़ औकात न करने वाली बात कर बैठता है, जिन मज़ाहिब या मुल्कों में तलाक़ सिर्फ बज़रीआ अदालत ही देने लेने की पाबन्दी है वहां औरतों को जलाने, दरयाबुर्द करने और दूसरे तरीकों से हलाक कर देने के बकसरत वाक़िआत पेश आना आम बात है इस पाबन्दी के ख़िलाफे फ़ितरत होने के वाज़ेह दलाइल हैं, फिर अदालत के ज़रीआ तलाक़ देने में उमूमन औरत के चरित्र में ख़राबी साबित

करना सहल तरीक़ा समझा जाता है, इस सिलसिले में सच कम, ज़ियादा तर झूठे इल्ज़ामात इस सिंफ़े नाज़ुक पर लगाए जाते और उसके सबूत पेश किए जाते हैं, ग़ौर किया जाय कि ऐसी सूरत में क्या औरत की बदनामी न होगी? और क्या ऐसी तलाक़ के बाद इससे कोई दूसरा शरीफ आदमी निकाह करने पर राज़ी हो सकेगा। इस सिलसिले का एक इब्रतनाक और शर्मनाक वाक़िआ कई साल क़ब्ल अख़्बारात में आया कि एक शख़्स ने (गैर मुस्लिम ने) तलाक़ देने के लिए अपनी बीवी को अपने एक रिश्तेदार से, बदकारी पर मजबूर किया (रोज़नाम ''राष्ट्रीय सहारा'' लखनऊ, 25 जुलाई 2002 ई0) ताकि ऐन बदकारी की हालत का वीडियो तैयार करा कर अदालत में सबूत के लिए पेश किया जा सके।

तअद्दुदे अज़्दवाजः–

मुस्लिम पर्सनल लॉ के जिन अजज़ा को सब से ज़ियादा तंकीद का निशाना बनाया गया है और अब भी बनाया जा रहा है उन में तअद्दुदे अज़्दवाज के जवाज़ का (चन्द बीवियों को एक साथ रखने के जवाज़ का) मसला भी है, हालांकि ज़बाने क़ाल से तो अगर्चे माना नहीं जा रहा है बल्कि सख़्त तंकीद की जा रही है लेकिन जबाने हाल से (या यूं कह लीजिए कि अमलन तो) सबने उस की इफ़ादियत तस्लीम कर ली है बल्कि इस का फितरी ज़रूरत होना मान लिया है, सबूत के लिए वह आदाद व शुमार काफी हैं जो दुन्या भर के लोगों का जाइज़ा ले कर आए दिन सामने आते रहते हैं, यूरोप व अमेरिका का तो ज़िक्र छोड़िए यहां हिन्दुस्तान में जो मज़हबी मुल्क कहलाता है और जहाँ मज़हबी अहकाम पर अमल करने वालों का तनासुब दूसरे बहुत से मुल्कों से ज़ियादा है, वहां 1961 ई0 की मरदुम शुमारी और 1981 ई0 के सर्वे के मुताबिक भी गैर मुस्लिमों में कई बीवियों के रखने का तनासुब मुसलमानों से ज़ियादा है। (देखिए कौमी आवाज़, लखनऊ 11 सितम्बर 1991 ई0, नई दुन्या, देहली 11–17 फरवरी 1986 ई0)।

इसके अ़लावा यह कि दुन्या के बेश्तर मज़ाहिब व ममालिक बशमूल हिन्दू मज़हब में चन्द बीवियाँ रखने की इजाज़त दी गई है, हिन्दू मज़हब की मोतबर किताबों में तो न सिर्फ मर्दों बल्कि शादी शुदा औरतों को भी अस्ली शौहर की मौजूदगी में कई दूसरे मर्दों से शादी (नेवग) का हक़ दिया गया है, बल्कि बाज़ मज़ाहिब में तो उस की कोई हद ही नहीं मुक़र्रर की गई है। चीनी मज़हब, बेकी में एक सौ बीस बीवियाँ तक रखने की इज़ाजत थी।

(अलमरातुः 17, अज़ डॉक्टर मुस्तफ़ा सबाई)

इस्लाम ने तो उस की हद बन्दी करके मोतदिल बना दिया है, मजबूरन यह भी कहना पड़ रहा है कि जिन मुल्कों या कौमों (मसलन यूरोप, अमेरिका) ने चन्द बीवियाँ रखने के खिलाफ ऐसा प्रोपगंडा किया है कि उसके ज़िक्र से भी मग्रिब ज़हद लोग शर्माने लगते हैं लेकिन उन्होंने जिन्सी बेराह रवी को ऐसा आम किया है कि जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया है।

❖❖❖

पुराने शिकारी नये भेस में

—मौलाना सय्यिद मु0 वाजेह रशीद हसनी नदवी रह0

—हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

दीनी मदारिस के खिलाफ आ़लमी मुहिम हक़ीकत में वही पुराना हथकण्डा है जिसे मग़रिब ने यूरोपियन साम्राजय फैलने से पहले आज़माया था यह कोशिशें मग़रिब के ग़लत अन्दाज़े, गलत फ़हमी, हक़ीक़त से न वाकि़फियत और हक़ाइक़ से चश्मपोशी पर दलालत करती हैं, इसलिए कि मग़रिबी प्रभुत्व से निजात पाने की तहरीकें फितरी हैं, और यह ख़ुद मग़रिबी निज़ामे तालीम व तर्बियत का नतीजा है क्योंकि मग़रिब की तालीमी फ़िक्र की बुन्याद आज़ादी है और आज़ादी मगरिबी तहज़ीब का पहला निशाना है चुनांचि आज़ादी पसन्द तहरीकों को दहशतगर्द गरदानना कैसे सहीह हो सकता है?

निसाबे तालीम में तब्दीली का मुतालबा दर्सी कुतुब से गुलामी के ख़िलाफ जिद्दो जहद से मुतअ़ल्लिक़ मवाद को हज़्फ करने का मुतालबा, अजनबी अक्दार व रिवायात की ततबीक़ का मुतालबा और क़ौमी तशख़्ख़ुस के रमूज़ मिटा देने का मुतालबा यह सारे मुतालबात वही पुरानी कोशिशें हैं जो उन्नीसवीं सदी में साम्राज्य की थीं, इन पुरानी कोशिशों और निज़ामे तालीम व तर्बियत बदल देने की मौजूदा आ़लमी कोशिशों में कोई फर्क नहीं है बल्कि इस्लामी मदारिस के ख़िलाफ मौजूदा आ़लमी मुहिम दो सौ साल पुराने फार्मूला का एआदा और तकरार है यह मुहिम ज़ालिमाना गालिब आने की कोशिश है जो क़ौमी बालादस्ती और आज़ादी के तसव्वुर के मनाफ़ी है।

ख़ुलासा कलाम यह है कि मगरिबी फ़स्ताई कूवतों ने तारीख़ साज़ सलीबी जंग में नाकाम और नामुराद ठहरने के बाद अपने अज़ाइम और मंसूबों को अमल में लाने के लिए अब अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम व तर्बियत की तरफ़ मरकूज़ कर दी है। इस्लाम और इसकी लाज़वाल तारीख़, व तहज़ीब व तमद्दुन और सक़ाफत को नक़्शए आलम से मिटाने के लिए तालीम को आलाएकार और हर्बा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मुसलमानों का सर चश्मा दीन व मज़हब और अक़ीदे से रिश्ता कट जाए, इसके लिए बड़े पैमाने पर इस्लामी विषयों पर तालीमात व तसनीफ़ात के काम अंजाम पाए। उन में ऐसे शक—शुब्हे में डालने वाले विषैले और फर्जी ख़्यालात पेश किए गए जो इस्लाम और मुसलमानों के धार्मिक विशेषताओं से बिल्कुल मुख़तलिफ और जुदागाना हैं, मुस्तशिरकीन ने अपने उन विषैले ख़्यालात का पौधा यूरोपीय तालीमी इदारों के तलबा के ज़हन में भी लगाने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखी, जिन का जाल पूरे इस्लामी ममालिक में फैला हुआ है और जिस

की तरफ ममालिके इस्लामिया के चप्पा–चप्पा से मुस्लिम इस्कॉलर्स टूट पड़ रहे हैं। मगरिबी मुफक्किरीन की इस जिद्दोजहद का वाहिद मक़्सद इस्लाम को दहशत पसंद क़रार देना और यह बावर कराना था कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, गोया इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस क़िस्म के शुकूक व शुबहात पैदा करने का काम बहुत पहले से होता आ रहा है और आज की सूरते हाल भी कोई ज़ियादा मुख़्तलिफ नहीं है, इन की जो तसनीफ़ात व तालीफ़ात यूरोपी ज़बानों में वजूद में आयीं, उन्होंने मगरिबी इदारों और पढ़े लिखे तबक़े में खासी मक़बूलियत हासिल की और अंग्रेज़ी का बेहतर रोल अदा किया, उन अफ़राद के ज़ेरे तर्बियत जो नस्ल परवान चढ़ी उसने इस्लामी ममालिक में इस्तिमारी ताक़तों के बाद सियासी और फिक्री सयादत व क़यादत की कमान संभाली, जिस का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने अपने ममालिक के ऐजेण्ट उन्हीं चैप्टर्स की रौशनी में तैयार किये जो मगरिबी लेखकों की किताबों से अखज़ कर रखे थे।

इस हक़ीक़त का एतेराफ खुद बहुत से मग़रिबी मुफ़क्करीन ने वाज़ेह तौर पर किया है और यहां तक कहा कि तालीमी हमला में जो हमें कामयाबी मिली है वह सलीबी जंग में नहीं मिली।

H.I.R. Gibb नामी मुस्तश्रिक़ ने मदारिस के किरदार के एतेराफ़ में कहा है कि उन मिशनरियों के तहत चल रहे तालीमी इदारों ने तलबा के अख़्लाक़ व आदात, अफ़कार व ख़्यालात पर मसीही रंग चढ़ाने का कामयाब तज्रबा पेश किया है, उन इदारों ने उन्हें यूरोपी ज़बान सीखने में बड़ी मदद की, जिसके नतीजे में मगरिबी अफ़कार और उसके कल्चर से बड़ी हद तक हम आहंग हो गए, यह चीज़ें उन की रोज़ मर्रा की ज़िन्दगी में भी सरायत कर गईं।

वह मज़ीद कहता है ''हमारे क़ाइम किए हुए स्कूलों और इन्हीं इदारों ने उन्हें लादीनियत और इल्हाद पर ला खड़ा करने में नुमायाँ किरदार अदा किया है''।

इसी तरह ***S.M. Zwelmer*** मुस्तश्रिक़ ने कहा है ''इस्तिमारी सियासी ताक़त तक़रीबन निस्फ सदी स्कूलों में प्राइमरी दरजात के निसाबे तालीम पर काम करती रही, हत्ता की वह निसाबे तालीम से कुर्आन फिर तारीखे इस्लाम को निकालने में कामयाब हो गई, फिर स्कूलों से ऐसी नस्ल तैयार हुई जो माद्दीयत की खूगर थी, अपने दीन व मजहब पर एतिमाद खो चुकी थी, और उसके दिल में अपने दीन व मज़हब के लिए अज़मत व एहतिराम का कोई गोशा बाक़ी न रहा और न अपने मादरे वतन की महब्बत और न आज़ादी की कोई फिक्र।

चुनाँचि यूरोप ने जंग की ट्रेजेडी को छोड़ कर तालीम

शेष पृष्ठ .....28....पर

गाँव वाले (ग्रहित)

—इदारा

ईश्वर (अल्लाह) अपने प्रिय सन्देष्टा (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को आदेश देता है कि:

आप लोगों के समक्ष गाँव वालों का क़िस्सा वर्णित कीजिए जहाँ आगे पीछे कई संदेष्टा भेजे गये थे, हमने पहले दो सन्देष्टा भेजे गाँव वालों ने उनको झुठला दिया।

अब तक तो वे दो ही थे, परन्तु अब तीसरे सहयोगी के आ जाने से तो उनकी बात का महत्व और भी बढ़ गया था। उन्होंने गाँव वालों को कैसे–कैसे समझाया कि देखो जब इस ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही है, तब फिर यह कहाँ तक ठीक है कि तुम सेवा और भक्ति दूसरों की करो। तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम उस वास्तविक स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना स्वामी न मानो। जीवन–यापन की वही पद्धति ग्रहण करो, जो ईश्वरीय शिक्षाओं के प्रकाश में हम तुम्हें बताते हैं।

गाँव वालों ने एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा: "तुम भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य, हम किस भाँति मान लें कि तुम्हें ईश्वर ने भेजा है। हम तो जानते हैं कि कोई भी ईश्वरीय आदेश तुम्हारे पास नहीं, यों ही झूठ–मूठ बातें गढ़ ली हैं।" इन तीनों ने कहा कि तुम्हारा और हमारा स्वामी इस बात को भली भाँति जानता है कि हम सचमुच उसी के भेजे हुए हैं। हमारा कार्य तो केवल इतना है कि हम स्पष्टता सीधी और सच्ची बात तुम तक पहुँचा दें। तुम जानते हो यह समस्त ब्रह्माण्ड तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा हृदय भी साक्षी है कि इस विचित्र ब्रह्माण्ड को बनाने वाला कोई महाकुशल होना भी चाहिए, फिर तुम ही निर्णय करो कि उसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की दासता अंगीकृत करना, नतमस्तक होना और उनके आदेशों पर चलना कहाँ तक ठीक है।

इन स्पष्ट और तर्कसंगत बातों को सुनने के पश्चात गाँव वालों के पास कोई उत्तर न था और हो भी क्या सकता था? परन्तु बुरा हो दुराग्रह का जिसके कारण मनुष्य के नेत्र संमार्ग की ओर से विमुख हो जाते हैं, कान भी सच्ची बात सुनने के लिए बधिर हो जाते हैं और हृदय सत्य को स्वीकृत करने में असहमति प्रकट करता है। गाँव वालों ने कहा:–

"हम तो तुम्हें दुर्भाग्य का चिह्न समझते हैं। तुमने आ कर व्यर्थ ही एक नई बात आरम्भ कर दी है। देखो, यदि तुम ने इस मार्ग का परित्याग न किया, तो हम तुम को पत्थर मार–मार कर मार डालेंगे और हमारे हाथों तुम्हें अत्यन्त विपत्तियाँ झेलनी पड़ेंगी।"

वे बोलो– "तुम्हारा दुर्भाय तो स्वयं तुम्हारे आहवान का परिणाम है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दरिद्रता यही है कि वह अपने सृष्टा, पालक और पोषक को छोड़ कर दूसरों की दासता और सेवा का अवलम्बन करे। उसके द्वारा निर्मित प्रणाली का परित्याग कर के अपने जीवन के लिए विधियाँ स्वयं

बनाने लगे। वास्तविकता तो यह है कि तुम लोग अपनी सीमा का अतिक्रमण किये जा रहे हो। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे सृष्टा ने जो अधिकार दिये हैं उनका उपयोग तुम्हें किस सीमा तक करना चाहिए?''

गाँव में एक और सज्जन व्यक्ति रहता था। उसे ज्ञात था कि ईश्वरीय सन्देष्टा जो बात कह रहे हैं, वही सत्य है। वह यह भी देख रहा था कि गाँव वाले कैसा दुराग्रह कर रहे हैं और वह यह भी जानता था कि गाँव वालों का मंगल इसी में है कि वे ईश्वरीय आदेश के अनुसार अपने जीवन की दशा परिवर्तित कर लें। परन्तु जब उसने सुना कि गाँव वाले किसी भाँति ईश्वरीय सन्देष्टाओं की बात मानते ही नहीं, तब उसने यह समझ लिया कि अब चुप बैठने का समय नहीं है। अब तो सच्ची बात कहनी ही पड़ेगी, चहे गाँव वालों को अच्छी लगे या बुरी। वह दौड़ा हुआ उनके पास आया और कहने लगाः

''भाइयो! तुम्हारा कल्याण इसी में है कि ईश्वरीय आदेश के अनुसार अपने जीवन की दिशा पलट लो और ईश्वरीय सन्देष्टा जो कुछ कहते हैं मान लो, सत्य वही है जो ये कह रहे हैं। तुम यह तो देखो कि ईश्वर के ये जीव तुम से कुछ पारिश्रमिक माँगते भी तो नहीं। तुम भलीभाँति जानते हो कि उन्हें तुम से कोई लाभ नहीं। ये सम्पत्ति और शासन के भूखे नहीं हैं। फिर इनका जीवन देखो। इनकी प्रत्येक बात से प्रकट होता है कि वस्तुतः सत्य–मार्ग पर यही हैं। ऐसे लोगों का कथन न मानोगे, तो अपनी ही हानि करोगे। रह गया मैं, तो भला मैं उसकी सेवा में क्यों न रहूं जो मेरा सृष्टा है। यह जीवन सदा रहने वाला तो है नहीं। एक दिन तो मरना है ही, मृत्यु के पश्चात उस स्वामी के सम्मुख जाना है और अपने जीवन का विवरण प्रस्तुत करना है। क्या मैं उस स्वामी को छोड़ कर किसी अन्य को अपना स्वामी बना बैठूँ अथवा स्वयं अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दूँ? मुझ से यह न होगा। कौन नहीं जानता कि यदि वह परमेश्मर संकल्प कर ले कि मुझे कोई हानि पहँच जाए तो इन मिथ्या स्वामियों एवं उपास्यों में एक भी ऐसा नहीं है जो उसके भेजे हुए कष्ट और विपत्ति का निवारण कर सके। इनमें से तो कोई इस योग्य भी नहीं कि ईश्वर के सम्मुख सिफ़ारिश करके ही मेरा कोई कार्य बनवा दे। यदि वह आज्ञोल्लंघन के कारण मुझे दण्ड दे तो ये मुझे उससे छुड़ा लें। इन बातों के होते हुए भी यदि मैं उसके स्वामित्व को अंगीकृत न करूँ, उसके सम्मुख नतमस्तक न होऊँ तो भला मुझ से अधिक मार्ग–भ्रष्ट और कौन होगा? सुनो, मुझे तो उसी पर विश्वास और श्रद्धा हो गई है, जो हमारा, तुम्हारा और सब का आदेशक, अधिकारी और स्वामी है।''

उस सज्जन व्यक्ति का यह कहना था कि लोग उस पर टूट पड़े और वहीं उसका वध कर दिया। सच है जब मनुष्य अपनी बात का पक्ष करने लगता है, विशाल हृदय से सत्य और असत्य को पहचानने का प्रयत्न नहीं करता, तो उसे प्रत्येक सच्ची बात कड़वी लगती है। शिक्षा ग्रहण करना उसके लिए अति कठिन हो जाता है और

वह अपने कल्याण एवं उत्कर्ष का स्वयमेव शत्रु हो जाता है।

उस सज्जन व्यक्ति का वध होना था कि उस पर तत्काल ईश्वरीय कृपा हुई और जैसे ही उसने उस दूसरे लोक में नेत्र खोले अपने आपको नेमतों से भरे स्वर्ग में पाया। उस समय भी उसे अपने जाति–बन्धुओं का स्मरण था और वह नितान्त करूणापूर्वक कह रहा था, ''कितना अच्छा होता यदि मेरी जाति को यह ज्ञात हो जाता कि मेरे स्वामी ने मेरे दोषों को किस भाँति क्षमा कर दिया और वास्तविक सत्य की घोषणा करने के परिणामस्वरूप मुझे कितना उच्च पद मिला।''

इधर उस जाति का वृत्तांत सुनो। उसको अधर्म और दुराग्रह का दण्ड देने के लिए परमेश्वर ने आकाश से कोई सेना नहीं भेजी, न उसे ऐसी सेना भेजने की आवश्यकता ही थी। उसके दण्ड के अनेक प्रकार हैं। उसका प्रकोप किसी एक विशिष्ट रूप में नहीं होता। अतएव जनपद निवासियों ने एक गगनभेदी घोर शब्द सुना। ऐसा घोर शब्द जिसका सहन उनमें से कोई भी न कर सका और सब मर कर रह गए। खेद होता है ऐसे व्यक्तियों की दशा देख कर, जो अपनी विपत्तियों को दूर करने के लिए किसी अन्य शक्ति का आश्रय ढूँढते हैं, ईश्वरीय सन्देष्टाओं के द्वारा वर्णित ईश्वरीय विधि के अतिरिक्त अन्य जीवन–शैलियों का अन्वेषण करते हैं, ईश्वरीय विधि का उपहास करते हैं, ईश्वर निर्मित विधि को समय के प्रतिकूल और व्यर्थ बताते हैं। उन्हें चाहिए कि आँखें खोलें और प्राचीन जातियों का इतिहास पढ़ें। उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि उनसे पूर्व वास्तविक सफलता उन्हीं जातियों को मिली है, जिन्होंने अपनी जाति के लिए ईश्वरवाद के आधार पर नियमों का निर्माण किया। जिन्होंने ईश्वर प्रेरित विधि को अपने लिए दीपक समझा और जिन्होंने अपनी इन्द्रियों की एवं अन्य किसी की दासता अंगीकृत नहीं की।

वास्तविकता यही है कि जो लोग पहले हो गए, जो अब विद्यमान हैं अथवा जो भविष्य में इस पृथ्वी पर जीवनयापन करेंगे, उन सबको अपने उसी स्वामी के समक्ष उपस्थित होना है, जो उनका सृष्टा, पालक और प्रभु है और अपने जीवन के समस्त कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना है।

अब प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि चाहे वह वास्तविक सफलता, शाश्वत सुख और अपने स्वामी की प्रसन्नता का अवलम्बन करे अथवा अपनी इन्द्रियों और अपने ही जैसे मनुष्यों की इच्छा की दासता में अपना समय नष्ट कर दे।

इस गाँव वालों का वृत्तांत आपने पढ़ लिया। ये सब बातें पढ़ कर आपके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे होंगे– ''ये गाँव वाले कौन थे? इनका गाँव कहाँ था? यह सज्जन व्यक्ति कौन था? ये सन्देष्टा कौन थे? यह कथा किस युग की है? इत्यादि। परन्तु इस घटना के विषय में ये बातें महत्वपूर्ण नहीं जितनी महत्वपूर्ण वह शिक्षा है जो हमें इससे प्राप्त करनी चाहिए। यही कारण है कि पवित्र कुर्आन से उपर्युक्त प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर हमें नहीं मिलता। अतः इस घटना में जो बातें स्मरणीय हैं, वे ये हैं:–

1. जब किसी जनपद के निवासी जान बूझ कर ईश्वरीय

शेष पृष्ठ .....40....पर

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः वालिदैन जब बीमार थे एक लड़के ने बीमारी में दवा इलाज और तीमारदारी में काफी रूपये सर्फ किए और हर तरह से वालिदैन की ख़िदमत की, बीमारी चूँकि संगीन थी इसलिए लड़के ने यह सोचते हुए खर्च किया कि बाद में अपनी रक़म के ब कद्र जाइदाद अपने हिस्से के अलावा ले लेगा, अब वालिदैन का इन्तिक़ाल हो चुका है, सुवाल यह है कि बीमारी में जो खर्चे हुए हैं, क्या माल मतरूका में से वह लिए जा सकते हैं?

उत्तरः अगर वालिदैन की इजाज़त के बगैर इख़्राजात उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किये हैं तो यह हुस्न सुलूक में शुमार किया जायेगा, और माल मतरूक़ा में से लेने का हक़ नहीं होगा, हाँ! अगर वालिदैन ने ख़र्च करने की इस सराहत के साथ इजाज़ात दी थी, कि मेरी जाइदाद में से यह ले लेना तो ऐसी सूरत में लेने का हक़ हासिल होगा। (अल बहरुर्राइकः4/201)

प्रश्नः एक शख़्स ने बीवी की जिन्दगी में मेहर अदा नहीं किया, बीवी का इन्तिक़ाल हो गया है, अब वह मेहर अदा करना चाहता है, क्या वह बीवी की तरफ़ से पूरा मेहर किसी मदरसा में दे दे या मस्जिद बना दे या फुक़्रा में तक़्सीम कर दे या क्या करे?

उत्तरः यह महर अब मरहूमा के माल मतरूका में शामिल होगा, और वफात के वक़्त तमाम वरसा इसके हक़दार होंगे, अगर औलाद मौजूद हैं तो शौहर भी एक चौथाई का हक़दार होगा, बक़िया माल औलादों में तक़्सीम होगा, अगर औलाद नहीं है तो शौहर आधे का हक़दार होगा, बक़िया दीगर वरसा में तक़्सीम होगा।

(मजमउल नहरः 4/500)

प्रश्नः हराम कारोबार के मालिक के मर जाने के बाद वह माल वारिसीन के लिए हलाल होंगे या नहीं? बाज़ लोग कहते हैं कि हलाल हैं क्योंकि मिल्क बदल जाने से हुक्म बदल जाता है, अस्ल क्या है?

उत्तरः जिस शख़्स ने हराम कारोबार कर के हराम माल जमा किया है, और उन का इन्तिक़ाल हो गया और वरसा को मालूम है कि यह माल हराम है तो यह वरसा के लिए हलाल नहीं होगा, तब्दील मिल्क का काइदा यहाँ जारी नहीं होगा, क्योंकि खुद मूरिस ही इस माल का मालिक नहीं था तो इसके वारिसीन कैसे मालिक होंगे। (रद्दुल मुहतारः 4/130)

प्रश्नः एक औरत के शौहर का इन्तिक़ाल हो गया, उन दोनों से औलाद नहीं थी, शौहर ने काफी माल छोड़ा लेकिन बेवा का निकाह उनके वालिदैन ने दूसरी जगह कर दिया, पहले शौहर जो इन्तिक़ाल कर चुके हैं, उनकी जाइदाद में उस औरत को हक़ हासिल है या नहीं? क्योंकि मरहूम के वालिदैन और भाई वगैरा

कह रहे हैं कि दूसरे मर्द से निकाह कर लेने की वजह से मज़कूरा औरत को मरहूम के माल में हिस्सा नहीं होगा, क्या अ़क़्द सानी की वजह से शौहर अव्वल की विरासत में यह हिस्सा नहीं पायेगी?

उत्तर: अक़्द सानी की वजह से वह औरत महर या विरासत से महरूम नहीं होगी, बल्कि शौहर अव्वल मरहूम ने जो कुछ माल छोड़ा है, उसमें वह एक चौथाई हिस्सा की हक़दार होगी। (अद्दुर्रुलमुख़्तार माए रद्दुल मुहतारः10/529)

प्रश्न: सरकारी मुलाज़िम को ग्रेजुएटी मिलती है, अगर कोई फार्म में अपनी बीवी का नाम लिख दे और उन का इन्तिक़ाल हो जाए और रक़म अहलिया को मिल जाए तो क्या इसमें दीगर वरसा का हक़ नहीं होगा, क्या इससे मरहूम के कर्ज़े अदा नहीं किये जा सकते हैं? मरहूम की बेवा का कहना है कि यह मेरा है इसलिए इस में किसी का हक़ नहीं है और न इससे कर्ज़ अदा होगा, हुक्म शरअ़ा क्या है?

उत्तर: फार्म पर नाम ग्रेजुएटी या प्रॉविडेण्ट फण्ड वसूल करने के लिए लिखा जाता है न कि मालिक बनाने के लिए, इसलिए इस रक़म से पहले तमाम क़र्ज़े अदा किए जाएंगे, महर अगर बाक़ी हो तो महर भी इससे अदा होगा, इसके बाद अगर रक़म बच जाए तमाम वरसा में हस्ब शरअ़ा वह तक़्सीम होगी।

(रद्दुल मुहतारः 10/493)

प्रश्न: जो पेन्शन सरकारी क़ानून के मुताबिक मुलाज़िम की बीवी का हक़ होता है, अगर बीवी को मिले तो क्या इसमें दीगर वरसा का भी हक़ होगा? बाज़ लोग कहते हैं कि वह रक़म तमाम वरसा में तक़्सीम होगी, हुक्म शरअ़ा क्या है?

उत्तर: सरकारी क़ानून के एतिबार से जो मुस्तहिक़ हो पेन्शन उसी को मिलेगी, क्योंकि सरकार की तरफ़ यह तबर्रो (एक प्रकार की बख़्शिश) है, मरहूम की मिल्क नहीं है, इसलिए अगर सरकार बीवी को दे रही है तो यह सिर्फ उसी का हक़ है, दीगर वरसा का इसमें हक नहीं होगा।

(रद्दुल मुहतारः 10/493)

❖❖❖

आश्चर्यजनक रोग .....

मिले, आमीन हम यहां यह बात फिर दोहराते हैं कि जब तक डॉक्अर लोग न कहें हम एहतियात में कोताही न करें यानी दो दो आदमियों में फासला रखें बाहर निकलने पर मुँह पर मास्क लगायें, न किसी से हाथ मिलाएं न किसी से गले मिलें और ख़ूब सफाई रखें लेकिन शरई ज़रूरतों को पूरा करने में कोताही न करें जनाज़े को दस्ताना पहन कर नहलाएं और कफ़न पहनाएं। जनाज़े की नमाज़ पढ़ेंगे और उस को क़ब्र में उतार कर दफ़न करेंगे इसी तरह बूढ़े रोगी की सेवा करने में दूरी को भुला देंगे। अल्लाह हमारी मदद करे आमीन।

❖❖❖

प्रेम संदेशा

"सच्चा राही" आया है
प्रेम संदेशा लाया है
मानव मानव भाई हैं
यह पाठ पढ़ाने आया है

ईश्वरीय प्रकोप

—अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी, नसीराबादी

ईश्वरीय प्रकोप, अब आया है जगत में।
पाप का भूचाल अब, आया है जगत में।।

रोना है करोराना का, अब सारे जगत में।
नर नारी परेशान हैं, अब सारे जगत में।।

समझाया नहीं पापी को, यह पाप बड़ा है।
इसका ही तो परिणाम, अब आया है जगत में।।

ईश्वर का उपासक हो, मानव का यही धर्म।
कर्म का परिणाम यह, आया है जगत में।।

मालिक है कोई जग का, इतरा रहे हैं हम।
प्रकोप यह समझाने, आया है जगत में।।

खालिक को मानो मालिक, पूजा हो उसी की।
खुशहाली वह लायेगा, तब सारे जगत में।।

धर्म की बातों को, जो मानते नहीं।
ऐसे भी अधर्मी हैं, अब सारे जगत में।।

सरकार की मर्ज़ी कुछ, कुछ लोगों की अर्ज़ी कुछ।
मर्ज़ी पे अर्ज़ी हावी, अब सारे जगत में।।

सिद्दीक़ी की दुआ है, खता माफ़ कर दे या रब।
इस मर्ज़ को खतम कर, अब सारे जगत में।।

‘‘न्याय’’

—मौलाना नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

किसी भी अवसर पर निष्पक्ष निर्णय देना बड़ा ही संवेदनशील कार्य है, यदि ये निर्णय न्यायालय परिसर से देना हो तो उसकी संवेदनशीलता को समझा जा सकता है। कहा जाता है कि सत्य और असत्य में भेद पैदा करके उनके मध्य अभेद दीवार खड़ी करके निर्णय देने का कार्य एक सत्यवादी और निडर व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसे ही व्यक्ति का नाम शुरैह बिन हारिस रह0 है।

हज़रत शुरैह बिन हारिस महान सम्राट हज़रत उमर रज़ि0 के शासनकाल से अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे सल्तनत तक मुख्य न्यायाधीश रहे।

हज़रत शुरैह रह0 ने चीफ जस्टिस का पद साठ वर्ष तक संभाला। साठ वर्ष की अवधि मामूली थोड़े होती है, लेकिन इन साठ सालों में कभी भी पक्षपाती निर्णय नहीं दिया, जिसकी साक्षी अनेक घटनाएं और प्रसंग हैं, उन्हीं घटनाओं में एक घटना का विवरण दिया जाता है।

हुआ यूं कि चीफ जस्टिस साहब के एक बेटे से कुछ लोगों की अनबन हो गई, मामला लेन—देन से सम्बन्धित था। दूसरा पक्ष ये समझता था कि उसने हमें लूटा है और बेटा ये समझता था कि उन लोगों ने उसका हक़ मारा है।

अंततः जज साहब के बेटे ने बाप से मश्वरा करना चाहा, अब उस बाप से बेहतर कौन मश्वरा दे सकता था जो चीफ जस्टिस जैसे अति प्रतिष्ठित पद पर विराजमान हो, जो कानूनकी समस्त धाराओं का ज्ञाता और अदालती दांव—पेंच से परिचित हो।

बेटे ने सोचा कि हर हाल में मेरा फायदा रहेगा जब उसने अपने पिता से अपनी सारी कहानी कह सुनाई तो पूछा कि यदि मेरी सफलता सुनिश्चित है तो मैं मुकदमा करूं अन्यथा चुप रहूं, जज पिता ने कहा, बेहतर है कि मुकदमा दायर कर दो।

ख़ैर! मुकदमे पर अदालती कारवाई शुरु हुई। चीफ जस्टिस की अदालत में जिरहें की गईं और दोनों पक्षों ने अपने सही और सच्चे होने के तर्क रखे। अंततः चीफ जज ने निर्णय सुनाया तो बेटा मुकदमा हार गया। निर्णय देने के पश्चात पिता घर आये तो देखा कि बेटा गुमसुम कोना पकड़े बैठा है। हज़रत शुरैह ने पूछा, क्या हाल है, ये मुंह क्यों लटकाए हो? बेटे ने बड़ी शालीनता से कहा कि अब्बू जान! यदि मैंने आपसे परामर्श न किया होता और आप निर्णय मेरे विरुद्ध करते तो मुझे कोई ग़म न होता लेकिन मैंने आपसे पूछ कर मुकदमा दायर किया, इसके बावजूद फैसला मेरे खिलाफ कर दिया, इसी का मुझे दुख है।

जज साहब ने कहा, बेटा! जब तुमने मश्वरा किया तो पूरी बात सुनने के पश्चात मालूम हुआ कि तुम हक़ पर नहीं हो। यदि उस समय मैं ये बात तुम्हें बता

देता तो तुम अपने विपक्षी से संधि कर लेते और उनका हक़ मारा जाता मेरे बेटे! तू मुझे उन लोगों से बहुत ज़ियादा प्यारा है, बल्कि संसार के सारे लोगों से प्यारा है लेकिन अपना ईमान और एक हस्ती मुझे तुझ से भी अत्यधिक प्यारी है, और वह है हम सबका पालनहार अल्लाह! उसी अल्लाह ने मुझे हक़ के रास्ते से हटने न दिया और निर्णय तेरे विरुद्ध गया।

आज के दौर में ऐसी मिसालें दुर्लभ हो चलीं है। अब तो सच, हक और इन्साफ केवल किताबों का एक अध्याय बन कर रह गया है, जिसे पढ़ा तो जाता है, मगर उस पर अमल नहीं किया जाता। आज तो ये नौबत है कि न्याय चाहे किसी भी स्तर का हो उसे अपनाना और लागू करना जोखिम भरा कार्य बन गया है। न्याय प्रणाली में कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जो सच और हक़ को काल कोठरी में कैद करना चाहते हैं। ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को चिंहित करके संविधान को कमज़ोर होने से बचाया जाये।

❖❖❖

पुराने शिकारी.....

व तर्बियत के मैदान को जंग का जरिया बनाया, ख़्याल ज़ाहिर किया कि कम अज़ कम इसके ज़रिये जिहाद की सुलगती चिंगारी को बुझाने दिया जाए और मुसलमानों में इस्लामी जज़बा की जलती लौ मद्धिम कर दी जाए, उन अ़ज़ाइम के पेशे नज़र वसी पैमाने पर ममालिके इस्लामिया में मिश्नरी इदारों का जाल बिछाया गया, यह वह दौर था कि जब मुसलमान हुक्मराँ तबका तालीम व तर्बियत के मैदान से पूरी तरह ग़ाफिल था, इस्लामी सलतनतों के ज़वाल के बाद इस्तिअमारी ताक़तों ने क़ियादत की बाग डोर संभाली, ताक़त के बल पर मनमानी हुक्मरानी का दौर आया, ज़बानें मिटाई जाने लगीं, तहज़ीब व सक़ाफत में गैर इस्लामी राहो रस्म की आमेज़िश हुई, एजेण्डे बदल दिए गए, उन तमाम तब्दीलियों और आमेज़िशों के बाद एक नये इस्तिअ़मारी मुल्क का क़याम वजूद में आया, यह काम ऐसे अफ़राद के तअ़ाउन से अंजाम पाया, जो मगरिबी अफकार व ख़्यालात के न सिर्फ हामिल थे बल्कि उन्हीं की दर्सगाहों के तर्बियत याफ़ता थे उन पर मगरिबीयत का गहरा रंग चढ़ा था, और वह खुल कर उसी की ज़बान बोलने और खिलने लगे। ◆◇◆

कुर्आन की शिक्षा.....

कर दोज़ख वालों के दिल जल जल कर और कबाब होंगे।

11. दोज़ख वाले जल भुन रहे होंगे तो जन्नत वालों से भीख मांगेंगे तो कहा जाएगा कि इन नेमतों (सुख सामग्रियों) पर प्रतिबंध है जो इनकार करते रहे जैसे उन्होंने दुन्या में न माना आज कोई बात न मानी जाएगी। ◆◇◆

—प्रस्तुति—

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

इस्लाम के तीन.....

लोग दुबारा उठाए जाएंगे, जिस दिन न माल काम आएगा और न औलाद, केवल वही लोग (उस दिन रुस्वाई से बचेंगे) जो शुद्ध मन ले कर आएगा।

(सूरः अश—शुअरा 87—89)

जारी.....

—प्रस्तुति—

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

इधर उधर से —इदारा

एक सुन्दर नवयुवती अकेले कहीं जा रही थी, दो मनचले नवयुवकों ने उसको देखा तो उनके मुँह में पानी आ गया, उन्होंने युवती का पीछा किया, युवती ने देखा तो वह समझ गयी कि अब मेरी आबरू को खतरा है, न तो मैं इनसे लड़ सकती हूँ न कोई और मनुष्य दिख रहा है जो मुझे इन से बचा सके, उसने तुरन्त एक उपाय सोच लिया उसने नवयुवकों से कहा मित्रों। मुझे तुम से हमदर्दी है परन्तु जान लो कि मुझे एड्स का रोग है, नवयुवकों ने यह सुना तो दबे पाँव पीछे लौट गये, और युवती सुरक्षित अपने मक़ाम पर पहुँच गयी। यद्यपि युवती को एड्स का रोग नहीं था।

एक घर में दो भाई रहते थे उनके साथ उनकी बीवियाँ और बूढ़ी माँ भी रहती थीं उनके बच्चे भी साथ थे, वह कोई कारोबार करते थे उनकी आय बहुत अच्छी थी, प्रसिद्ध था कि उनकी बीवियों के पास बहुत से ज़ेवरात हैं, मगर वह उनको पहनती नहीं हैं बल्कि घर में सुरक्षित कर रखा है, बस वह एक दो ज़ेवर पहनती थीं चोरों को इसका ज्ञान था, वह ताक में थे कि कब मौका मिले और वह ज़ेवरात चुरा लें, एक दिन की बात है कि किसी समारोह में घर के सब लोगों को जाना था और रात वहीं बिताना था, सब लोग समारोह में चले गये, घर में अकेले बूढ़ी माँ को छोड़ गये, बूढ़ी माँ के कमरे में एक खिड़की थी जिसमें जंगला नहीं लगा था, बूढ़ी माँ ने हवा के लिए खिड़की खोल दी और सो गई, दो चोर हथियार लगाये खिड़की के रास्ते आ गये, बूढ़ी माँ की आँख खुल गयी, चोरों को देख कर वह सोचने लगीं कि आखिर अब मैं क्या करूँ, चोरों ने बूढ़ी माँ से कहा, अम्मा बताओ ज़ेवरात कहाँ हैं? बूढ़ी माँ ने तुरन्त एक उपाय सोच लिया, बेटे! घर के लोग ज़ेवरात ले कर कहीं कमरा ले कर थोड़े दिनों के लिए वहाँ रहने चले गये हैं, मुझे कोरोना का रोग है मेरे लिए कुछ राशन छोड़ कर मुझे अकेला छोड़ गये हैं, अब मैं अकेली इस घर में रह रही हूं। कोरोना का रोग सुनते ही दोनों चोर दबे पाँव खिड़की से बाहर थे। यद्यपि बूढ़ी माँ ने अपने को भी बचा लिया और घर के ज़ेवरात भी बचा लिये।

❖❖❖

कोरोना का संदेश

—तौक़ीर अहमद नदवी

ऐ मनुष्य!

क्या तुम को ज्ञान है कि मैं कौन हूँ?

सुनो! मैं परमेश्वर की सेना का एक छोटा सा सैनिक हूँ, मुझे तुम्हारे परमेश्वर की ओर से तुम्हे सुधारने के लिए अवतरित किया गया है, इस समय मानव जाति दूषित एवं जहरीली वायु से अधिक मुझ से भयभीय हो चुकी है।

अब मैं अपना शिकार केवल उसे बनाऊँगा, जिस के लिए मेरा ईश्वर मुझे आज्ञा देगा, परन्तु ये सत्य है कि मेरे कारण जो मृत्यु लोक में चला जायेगा वो मनुष्य के लिए एक प्रेरणा होगा।

परन्तु सुनो! मैं परमेश्वर पर सच्ची आस्था रखने वालों के लिए आशिर्वाद हूँ, उनको बेपरवाही की नींद से जगाने आया हूँ, क्योंकि उनके ऊपर मण्डरा रहे उस खतरनाक कष्ट से सावधान करूँ, जिस का उन्हें अनुभव तक नहीं है, वह ऐसा कष्ट मय कष्ट होगा कि जिसके आगमन के बाद भाग पाना असम्भव है।

मेरे दुन्या में आने का एक और लक्ष्य है कि मैं मनुष्य को बुराई से निकाल कर अच्छाई एवं सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला बनाऊँ, आपस में युद्धमय स्थिति, छल—कपट आदि से दूर करूँ, मानव को कुकर्मों तथा अनावश्यक धन के नष्ट करने से रोकूँ। एक दूसरे के अधिकार को आभास करा कर निर्धन एवं अभाव ग्रस्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करूँ, मैं चाहता हूँ कि मानव जाति को इस प्रकार चिन्ता और भय में ग्रस्त कर दूं कि मनुष्य अपने परमेश्वर से जुड़ जाएं क्योंकि वह परमेश्वर अपने भक्तों से अथाह प्रेम करता है।

कौन प्राणी इस बात से अज्ञान है कि संसार पर परमेश्वर का ही एकाधिकार एवं मरज़ी है? वही आकाश तथा पृथ्वी का मालिक है, उसी की मरज़ी से मानव चलने फिरने, उठने बैठने, तथा खाने पीने एवं समस्त क्रिया कलाप करता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसके विरुद्ध मानव की दानवता एवं ईश्वरीय आदेशों का बहिष्कार इतना बढ़ चुका है कि लोग परमेश्वर की आराधना से मुँह मोड़ चुके हैं (नमाज़ पढ़ना छोड़ चुके हैं) जब कि वास्तविकता यह है कि नमाज़ अल्लाह एवं उसके दास के बीच निकटता एवं पुण्य को बढ़ाने का सब से सुन्दर माध्यम है। ईश्वर के भक्तों की भक्ति की ऐसी भी लीला है कि खुलेआम रोज़ा (उपवास) छोड़ देते हैं, जब कि रोज़ा के माध्यम से

मनुष्य का शरीर स्वस्थ्य और आत्मा शुद्ध हो जाती है, तथा मानव शरीर में दूषित अन्न के कारण उतपन्न होने वाली समस्त बीमारियों से छुटकारा मिलता है।

क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि मेरे आगमन के कुछ ही दिनों बाद लोगों की स्थितियाँ परिवर्तित हुई हैं, मनुष्य घबराया हुआ अपनी लाचारी पर मातम कर रहा है, चारों दिशा में त्राहि–त्राहि है, अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, और वे अपने ईश्वर के आज्ञाकारी हो चुके हैं।

याद रहे कि मैं आया ही इसी लिए हूँ कि मनुष्य को सम्पूर्ण रूप से धार्मिक बना दूँ, मैं चाहता हूँ कि नारी से निर्लजता को दूर कर दूं, अनावश्यक मजेदार खेलों एवं व्यर्थ कामों के मार्ग को पूर्ण रूप से समाप्त कर दूं, जो मनुष्य के धर्म व आस्था की रक्षा के लिए अत्यन्त हानिकारक हैं, सम्पूर्ण भक्ति एवं व्यवहारिक व्यवस्था में आप का सुधार मेरा प्रथम लक्ष्य है।

मैंने निर्णय लिया है कि आप को कुछ समय लॉकडाउन के मध्यम से घरों में बन्दी बना कर आप के घिनौने आचरण को महान उत्तम विचार में परिवर्तित कर दूं, जिससे आपके भीतर कुकर्म से बचने तथा शुभ कार्य से उत्सुकता हो सके।

अब मुझे आशा है कि जब आप पुनः अपने दिनचर्या का जीवन प्रारम्भ करेंगे तो आप के जीवन शैली में एक दूसरे के अधिकार को पूर्ण करने का आभास होगा, और वर्षों से सोई हुई अन्तरात्मा जाग उठेगी। परिणाम स्वरूप आप इस संसार में विचार विमर्श हेतु ईश्वर की दी हुई बहुमूल्य बुद्धि का प्रयोग करेंगे। और सदैव उस वास्तविकता को ध्यान में रखेंगे कि ईश्वर ने सम्पूर्ण प्राणी जीव–जन्तू, सजीव निर्जीव आदि को केवल हमारे उपयोग के लिए बनाया है, और हम मनुष्य को अपनी आराधना एवं तपस्या के लिए।

परन्तु हमें इस महामारी से मुक्ति के लिए अपने पापों से परायश्चित करने के साथ परमेश्वर से प्रार्थना एवं क्षमा मांगनी चाहिए, अपने ह्रदय तथा आत्मा में परमेश्वर को केन्द्रित कर के उस कृपालू परमेश्वर की कृपा की शरण में पहुंचना चाहिए।

अन्यथा सम्भव है कि वह महान परमेश्वर इससे भी कठोर कष्ट में ग्रस्त कर दे।

हे ईश्वर, हे दाता अपने दासों को इस महामारी से मुक्ति दे, और समस्त मानवता पर कृपा कीजिए हे महान सर्वश्रेष्ट आप दयालू हैं हम पर दया दृष्टि कीजिए, एवं हमारी ओर से हमारे कृपालु संदेष्टा पर दुरूद समर्पित है, एवं उनके परिवार तथा उनके समस्त अनुयायियों पर।

❖❖❖

घरेलू मसाएल

—मौलाना बुरहानुद्दीन सम्भली रह0 —अनुवादकः मौलाना मु0 जुबैर अहमद नदवी

शरीअत में निकाह का महत्व

(प्रेणना, विवरण, हिकमतें)

प्राकृतिक धर्म यानी इस्लामी क़ानून में इंसानी भावनाओं, उस के स्वाभाविक रुझानों और प्राकृतिक आवश्यकताओं का जैसा और जितना ख़याल रखा गया है इस की मिसाल किसी भी दूसरे धार्मिक, ग़ैरधार्मिक, निर्मित या अनिर्मित क़ानून में मिलनी मुश्किल बल्कि असम्भव है। यह केवल दावा या खुशफ़हमी पर आधारित कोई निराधार खयाल नहीं, बल्कि दलील और प्रमाण से साबित एक हकीक़त है, जिसकी सच्चाई जो चाहे और जब चाहे शरीयत के आदेशों ' विषेश रूप से उसके पारिवारिक विधि का निष्पक्ष मगर गहन अध्ययन करके मालूम कर सकता है।

शरीअत में प्राकृतिक आवश्यकताओं का लेहाज़ः

प्राकृतिक धर्म में इंसानी भावनाओं का किस हद तक लेहाज़ रखा गया, और उसकी अभिरूचियों तक का कैसा ख़याल रखा गया है इसका हल्का सा अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि बावजूद इसके कि अल्लाह तआला को इंसान का जायज़ तरीक़े से हासिल धन—दौलत अच्छे कामों और ज़रुरतमंदों पर खर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस पर प्रेरित करने बल्कि इसको ज़रूरी क़रार देने वाली कुरआन की आयतें और हदीसें इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी गिनती भी मुश्किल है,मगर मानव स्वभाव और उसकी नाजुक भावनाओं का लेहाज़ करते हुए उसे इतने प्रिय काम के उस स्वरुप से रोक दिया गया जिस से वास्तविक मानवीय भावनाओं को ठेस लगने और प्राकृतिक आवश्यकताओं के आहत होने की संभावना थी, अतः कुरआन मजीद में साफ़ साफ़ कह दिया गयाः— ''अपना हाथ इतना ना खोल देना कि तमाम दौलत लुटा बैठो फिर बाद में पछताना पड़े।''

मानव जाति की आवश्यकताओं का लेहाज़ और जन सामान्य के हितों की रक्षा ही को मद्दे नज़र रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर व विशिष्ट सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ि० को अपना सारा माल ख़ैरात करने की वसीयत से आदेश दे कर रोक दिया हालांकि वह इसके लिए ज़िद कर रहे थे। उस के साथ अपने आदेश का फ़ायदा भी इन शब्दों में बताया।

''तुम्हारा अपने रिश्तेदारों का खुशहाल छोड़ कर जाना ज़्यादा बेहतर होगा इस बात से कि उनको ग़रीब छोड़ जाओ (अपना सब माल ख़र्च करके) और तुम्हारे बाद उन्हें लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े।''

और साथ में यह भी कहा :–

''तुम जो (परिवार की जायज़ ज़रूरतों) पर ख़र्च करोगे उसमें सदक़े का सवाब मिलेगा यहाँ तक कि बीवी के मुंह में लुक़मा उठा कर देने पर भी सवाब मिलेगा।''

आख़िरी वाले जुमले पर ख़ासतौर पर ग़ौर करने लायक़ है, इसमें भावनाओं और प्राकृतिक आवश्यकताओं का लेहाज़ आख़िरी हद तक मिलता है। इन मिसालों के अलावा शरीयत के जिस आदेश पर भी ग़ौर किया जाएगा यह सच्चाई खुल कर सामने आजाएगी कि अल्लाह के द्वारा बनाई हुई इस सुन्दर प्रकृति के लिए उसी की दी हुई शरीयत पूरी तरह अनुकूल है, इसमें न कहीं झोल है और न तंगी, जब वास्तविकता ये है तो आइये इस सवाल का जवाब तलाश करें कि प्राकृतिक धर्म में इंसान के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवश्यकता ''शादी की चाहत'' का हल किस तरह पेश किया गया है?

इस का छोटा जवाब तो यह है अल्लाह तआला ने इस ज़रुरत को पूरा करने के लिए न सिर्फ़ यह कि निकाह का तरीक़ा बनाया बल्कि इस पर ज़ोर दिया और प्रेरित किया, और अमल करने के लिए विवरण भी बतलाये, जिस तरह प्राकृतिक ज़रुरत को पूरा करने या भावना को संतुष्ट करने के लिए "निकाह" निर्धारित हुआ, इसका हर सही स्वभाव वाले स्वस्थ इंसान के अंदर मौजूद होना इस हद तक स्पष्ट है कि बताने की ज़रूरती नहीं। और हकीमुल इस्लाम हज़रात शाह वलीउल्लाह रह0 के बयान के मुताबिक़ इंसान की तमाम इच्छाओं में यह इच्छा सबसे बढ़ी हुई है, इसको संतुष्ट करने केलिए कभी कभी दिल के हाथों मजबूर हो कर बड़े से बड़ा ख़तरा मोल लेने पर तैयार हो जाता है।

निकाह पर ज़ोर क्यों?:–

जब हक़ीक़त यह है कि निकाह में हर एक की प्राकृतिक इच्छा की संतुष्टि का साधन है तो फिर प्रेरित करने, उस पर तैयार करने के लिए कोई आदेश देने और पालन न करने पर वईद (धमकी) सुनाने की कि जिस तरह हदीसों में है, ज़ाहिर में कोई ज़रुरत नहीं मालूम होती, मगर जैसा कि सभी जानकार लोग जानते हैं कि हर ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते रहे हैं, जो अपनी प्राकृर्तिक इच्छाओं का गला घोंटने और भावनाएं कुचलने ही में पूरी कामयाबी समझते और उसी में आध्यात्मिक शांति तलाश करते, और शादी विवाह और दूसरे दुनयावी मामलों को आंतरिक विकास में रुकावट और अल्लाह से क़रीब होने में अवरोधक समझते रहे हैं, इसलिए ज़रुरत थी कि उनकी यह ग़लतफ़हमी दूर की जाए, और बताया जाए कि इस बुलंद मक़सद (आध्यात्मिक शांति, मुकम्मल कामयाबी) को हासिल करने का तरीक़ा प्राकृतिक इच्छाओं को छोड़ना या इंसानी भावनाओं का कुचलना नहीं, बल्कि उनको सही तरीकों से पूरा करना और उसमें उदार

रास्ता अपनाना है।

अतः प्राकृतिक धर्म में यही किया और बताया गया है। वास्तव में शरीयत नाम ही उस दस्तूर–ए–ज़िन्दगी (जीवन विधान) का है, जिसमें हर इंसानी जायज़ इच्छाओं और उसके प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का उदार रास्ता दिखाया गया,और उस के लिए नियम बताए गए हैं. ऐसे लोगों की तादाद चाहे जितनी कम क्यों ना हो मगर रही है ज़रूर, इसलिए उनका सुधार ज़रूरी है, ऐसे लोगों का जो इच्छाओं के गुलाम बने हुए और जानवरों के स्तर पर उतरे हुए हैं बल्कि इस दूसरे गिरोह के मुक़ाबले में उनकी तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रुरत है क्यों यह सत्य की तलाश में लगे होने और मुकम्मल कामयाबी की सच्ची इच्छा रखने की वजह से सही रास्ता नज़र आजाने के बाद जल्द ही सही रस्ते पर आ सकते और ख़ैर (अच्छाई) को कुबूल कर सकते हैं, इसी वजह से हदीसों में इस इच्छा को जायज़ तरीक़े से पूरा करने की तरफ़ न सिर्फ़ ध्यान दिलाया, और प्रेरित किया गया, बल्कि इस पर ज़ोर दिया गया, और ऐसा न करने पर वईदें (धमकियाँ) सुनाई गईं, ताकि इस तरह अल्लाह तआला के इरादों मानव जाति में बढ़ोतरी, ज़मीन की आबादी, और अल्लाह के आदेशों को लागू करना और उसकी कुछ सिफ़ात (गुण) दुन्या के सामने आसकें, और इंसान ''ख़िलाफ़त'' (अल्लाह की ओर से प्रतिनिधित्व) के महान पदवी पर हमेशा आसीन रहे, हदीस में आता है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने उन लोगों को डांटा जिन में से एक साहब ने लगातार रोज़े रखने का, एक ने पूरी रात जागते रहने और ज़िक्र में लगे रहने का, और एक ने कभी भी शादी न करने का प्रण लिया था, आपने उन लोगों को सम्बोधित करते हुए धमकी के अंदाज़ में बताया ''कान खोल कर सुन लो! मैं तुम सब से ज़्यादा अल्लाह तआला से डरता और उसकी नाफ़रमानी से बचता हूँ, इसके बावजूद मैं कभी (नफ़्ली) रोज़ा रखता हूँ, रात के (एक हिस्से में) नमाज़ पढ़ता हूँ, और (अक्सर बड़े हिस्से में) सोता हूँ मैं ने औरतों से शादियां भी की हैं, अतः जो भी मेरे तरीक़े से हटेगा वह मुझ से सम्बन्ध तोड़ेगा।''

शादी ख़ुदा से क़रीब करने का ज़रियाः–

इससे मालूम हुआ कि शादी करना तक़वा के ख़िलाफ होने या ख़ुदा से दूर करने के बजाए, बन्दों को असली मालिक से क़रीब करने और तक़वा के आला मर्तबे तक पहुँचाने का रास्ता है (मगर इसके लिए सवाब की नियत ज़रूरी है वरना अज्र यानी बदला नहीं मिलेगा), एक हदीस में बताया "बंदा निकाह कर के अपना आधा ईमान सुरक्षित कर लेता है" क्यों कि गुनाह के बड़े ज़रिये दो हैं, ज़बान और शर्मगाह (गुप्तांग) निकाह कर के उनमें से एक बड़े ज़रिये पर काबू पा लेता है, एक अवसर पर हज़रत

मुहम्मद (स०) ने ख़ास तौर पर नौजवानों को संबोधित करते हुए बहुत ज़ोर देते हुए फ़रमायाः–

''नौजवानो! तुम में से जो भी शादी की ज़िम्मेदारियाँ निभाने की ताक़त रखता हो वह शादी ज़रूर करले क्यों की इसी से निगाहों में एहतियात आती और शर्मगाह (गुप्तांग) की हिफाज़त होती है।''

जब यह सच्चाई सामने आ चुकी कि निकाह ही वह एक मात्र साधन है जो इंसान की प्राकृतिक इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल होने के साथ अल्लाह के इरादों की पूर्ती और उसकी मर्ज़ी को पूरा करने का ज़रिया भी बन सकता है, इसके बिना इंसान या तो अपनी प्राकृतिक इच्छा का गला घोंटने पर मजबूर होगा या फिर खुदा की खुशी को हासिल और उसके इरादों को पूरा न कर सकेगा, यहाँ इस तरफ़ भी ध्यान दिलाना ज़रूरी मालूम होता है कि जिस तरह हदीसों में निकाह पर प्रेरित करके और फ़ज़ीलतें (सवाब) बयान कर के उस गिरोह की ग़लतफ़हमी दूर की गई ,जो उसे अल्लाह से क़रीब होने में अवरोधक और आख़िरत की तरक़्क़ी में रुकावट ख़्याल करता था, इसी तरह क़ुरआन मजीद की आयतों और हदीसों में संसाधनों व कारणों के ग़ुलाम, आंकड़ों के पैमानों से हर चीज़ को नापने वाले और बहुत ज़्यादा हिसाब किताब की मानसिकता वाले लोगों का यह भ्रम भी दूर किया गया कि शादी–विवाह (और उसके फलस्वरूप बाल–बच्चे) ग़रीबी–मुफलिसी और तंगी व बदहाली का कारण बनते हैं, और अविवाहित ज़िन्दगी, खुशहाली व सम्पन्नता का साधन है, लिहाज़ा इसी ग़लत विचार को दूर करने, इसी मनोरोग को ठीक करने के लिए मानो ऐसे ही लोगों को सम्बोधित करते हुए क़ुरआन मजीद में फ़रमाया गया।

निकाह करने वालों से वादाः–

''जो विवाह के बंधन में नहीं बंधे हों उनकी और सदाचारी गुलामों और दासियों का विवाह ज़रूर कर दिया करो अगर वे ग़रीब भी होंगे (तब भी विवाह करदो कियों कि) अल्लाह तआला अपनी कृपा से (अगर चाहेगा तो) धनी कर देगा वह बहुत बढ़ाने वाला जानने वाला है।''

उल्लेखित आयत की व्याख्या व तफ़सीर करते हुए अल्लामा महमूद आलूसी रह० ने ख़ूब लिखा है :–

ज़ाहिर में यह मालूम होता है कि इस आयत में अल्लाह तआ़ला की ओर से शादी करने वालों के लिए मालदार बनाने का वादा है और यह भी हो सकता है कि जो लोग ग़रीबी और मुफ़लिसी का बहाना कर के शादी करने से बचना चाहते हैं उनको बहाना बनाने से रोकना मक़सद हो, यहाँ ख़ुदा की दो विशेषता "वासे" और "अलीम" ज़िक्र करके यह बताया गया कि रोज़ी में कमी या बढ़ोतरी, शादी करने या ना करने पर निर्भर नहीं, बल्कि अल्लाह तआला अपने ज्ञान व युक्ति (हिकमत) के अनुसार जिस पर चाहता है रोज़ी के दरवाज़े खोल देता है और जिसे चाहता है तंगी में डाल देता है, क्यों

कि साधनों के गुलाम मनोवृत्ति वालों में यह बात रच–बस गयी है कि घर–परिवार ग़रीबी व तंगी का और उनका ना होना माल में बढ़ोतरी का कारण हुआ करता है, इसलिए अल्लाह तआला ने इस निराधार विचार की ग़लती भी स्पष्ट कर दी, बहुत सी घटनाएं इस बात पर गवाह हैं की कभी कभी माल की बोहतायत और औलाद की बहुलता दोनों इकट्ठी हो जाती हैं और कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास ना माल होता है और ना बाल बच्चे, इस से भी मालूम हुआ कि इंसान के भ्रम ने इन दो बातों "औलाद की बहुलता व तंगी और ख़ुशहाली व तन्हाई" का जो जोड़ समझ रखा है वह गलत है बल्कि ख़ुशहाली व ग़रीबी दोनों अल्लाह तआला (जो खुद करणों का पैदा करने वाला है) के इरादे और हुक्म से आती हैं इंसान को जब इसका पूरा विश्वास हो जाएगा तो निकाह करने से नहीं डरेगा।''

कुरआन की इस आयत की उपरोक्त व्याख्या और अहम् बिंदु बयान करने के बाद हज़रत अल्लामा ने अनेक हदीसें और सहाबा रज़ि० के कथन भी ज़िक्र किये हैं जिससे निकाह का ख़ैर–बरकत का माध्यम होना, ग़रीबी व मुफलिसी के दूर करने, ख़ुशाली व मालदरी का कारण होना मालूम होता है, उन में से कुछ हदीसें यहाँ लिखी जाती हैं.

1– हज़रत मुहम्मद स० से एक साहब ने ग़रीबी की शिकायत की तो आप स० ने उन्हें शादी करने का आदेश दिया।

2– एक अवसर पर हज़रत अबूबक्र राज़ि० ने लोगों से कहा कि ''लोगो! तुम अल्लाह के हुक्म (निकाह करने के हुक्म) का पालन करो, उसके बदले में अल्लाह तआला अपना (खुशहाल और मालदार बनाने का) वादा पूरा करेगा।''

3– हज़रत उमर रज़ि० ने कहा "निकाह करो ताकि ख़ुशहाल बनो"। आम विचार के ख़िलाफ़ इन हदीसों और सहाबा की बातों से मालूम होता है कि निकाह से ग़रीबी और मुफ़लिसी नहीं, बल्कि आम तौर पर ख़ुशहाली व माल में वृद्धि होती है, और ग़ौर किया जाए तो घटनाएं भी आम तौर पर इसी वास्तविक्ता को सिद्ध करती हैं क्यों की आम तौर पर देखा गया है कि शादी के बाद बाल बच्चो के भरण पोषण का भार पड़ जाने के बाद अधिकतर वे लोग भी ज़िम्मेदार और गंभीर और रोज़ी कमाने में मन लगाने और मेहनत करने वाले बन गये जो इससे पहले ला परवाह, ग़ैर ज़िम्मेदार और आराम तलबी के आदि थे, जिसके फलस्वरूप सुस्ती और काहिली के कारण आयी हुई ग़रीबी और मुफ़लिसी शादी के बाद बदले हुए स्वभाव के नतीजे में समाप्त हो गई और उसके बजाए खुशहाली व सम्पन्नता आ गई, इसके अलावा सुघड़, तमीज़दार, कम खर्चीली पत्नी का आ जाना फुजूलखर्ची और अशिष्टता से आयी हुई तंगी दूर करने का माध्यम बन जाती है, और ऐसा भी देखा

गया है कि खुशहाल और मालदार ख़ानदान की औरत से शादी, पति के दिन बदल जाने बल्कि ख़ानदान भर के भविष्य बन जाने का साधन बन गयी।

इसकी एक मिसाल मशहूर सहाबी हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० का वाक़िया है कि वे बहुत ग़रीब और निर्धन थे इसी ग़रीबी की हालत में हिजरत की "बुसरह" नामक औरत के यहाँ नौकरी कर ली फिर उसी औरत से शादी की, जिसके नतीजे में अल्लाह तआला ने उनके दिन फेर दिए (जैसा की सहीह बुखारी की मशहूर शरह (टीका) ''उम्दतुल कारी'' पृष्ठ :147, जिल्द–1, और फत्हुल मुलहिम पृष्ठ : 209 जिल्द–1 में है)।

इसी से मिलता जुलता एक सबक़ देने वाला वाक़िया हदीस के मशहूर माहिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पिता का भी "बुस्तानुल मुहद्दिसीन" नामक किताब में शाह अब्दुल अज़ीज़ रह० ने लिखा है। जनाब मुबारक रह० भी निकाह की वजह से बहुत ही मालदार हो गये थे।

(बुस्तानुल मुहद्दिसीन, पृष्ठ : 62)

इन संभावनओं के साथ हक़ीक़त भी देखिये कि दस्तकार घरानों में औरतें और बच्चे भी दस्तकारी और मेहनत करते और पूरे परिवार की खुशहाली का ज़रिया बनते हैं, अक्सर पेशावर व कारीगर समुदायों और बिरादरियों में देखा है। हमारे इस ज़माने में ऐसे समुदायों और बिरादरियों में खुशहाली और दौलत आ जाने की आम वजह यही है, और ज़्यादा विचार विमर्श के बाद ऐसे और कारण और हालात सामने आ सकते हैं जिनसे उक्त हदीसों व सहाबा की बातों की सच्चाई का व्यावहारिक और सच्चा प्रमाण मिलता हो।

ग़लतफ़हमी का निवारणः–

इस विवरण का यह मतलब भी नहीं कि इंसान अपने आस पास की आवश्यकताओं, निजी हालात, अपने संसाधनों और तमाम चीज़ों से आँखें बंद करके खुले तौर पर बुद्धि के विरुद्ध काम करने लगे, कि ना कमाने की ताक़त हो ना ज़िम्मेदारियाँ और अधिकार देने का सामर्थ्य, इसके बावजूद शादी करने के लिए तैयार हो जाए, अगर इन हालात में भी शरीयत की ओर से निकाह करने का कठोर आदेश होता तो निश्चित रूप से यह प्राकृतिक धर्म की शान के विरुद्ध होता। ऐसी परिस्थितियों के पीड़ित को निकाह के लिए प्रेरित करने के बजाए यह निर्देश दिया गया है। ''जिन लोगों को निकाह (के नतीजे में पड़ने वाली ज़िम्मेदारियाँ पूरा करने) के संसाधन उपलब्ध नहीं वे (निकाह ना करें, बल्कि पाक साफ़ ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए) अपने नफ़्स की विशेष रूप से हिफाज़त करें, जब तक अल्लाह तआला उनको अपनी कृपा से मालदार ना बना''। (हज़रत थानवी रह० ने अपनी पत्रिका "शारिदुल इबिल" में ''ला यजिदून निकाहन'' का मतलब, बीवी का न मिलना बताया है।

(ब्वादिरुन नवादिर जिल्द 1, पृष्ठः 207)।

लेकिन इस हालत में में भी यह इजाज़त नहीं दी गयी कि वे शारीरिक शक्तियों और प्राकृतिक आवश्यकताओं को अप्राकृतिक तरीकों से कुचल दें, और मर्दाना शक्ति को ख़त्म कर डालें, क्यों कि इस से ख़ुदा की नेमत की बहुत बड़ी ना क़दरी और उसकी बनावट में परिवर्तन होगा, और यह खुदा को नाराज़ करने वाला बहुत ही संगीन अपराध और शैतान को ख़ुश करने वाला काम होगा जिस का नतीजा खुले हुए नुक़सान और जहन्नम के भयानक अज़ाब और दहकते हुए अंगारों के रूप में निकलेगा, (अल्लाह की पनाह) जैसा कि कुरआन मजीद में हैः—

अनुवादः— "(और शैतान उसी वक़्त यह कह चुका है जब उसने इंसान को गुमराह करने के पुख्ता इरादे को ज़ाहिर किया था) मैं इंसानों को ज़रूर गुमराह करूँगा। और उन्हें हुक्म दूंगा तो वे अल्लाह की बनावट में परिवर्तन करेंगे और जो कोई अल्लाह को छोड़ कर शैतान को दोस्त बनाएगा वह निश्चित रूप से खुले हुए नुकसान में रहेगा, यही लोग हैं जिन का ठिकाना जहन्नम है और यह उससे बचने की कोई जगह ना पाएंगे।''

सही हदीसों में आता है कि कुछ लोगों ने मुहम्मद (स०) से मर्दाना शक्ति ख़त्म करने की इजाज़त मांगी थी, मगर आप स० ने उन्हें सख़्ती से मना कर दिया, जबकि इजाज़त मांगने वालों की भावना सिर्फ़ गुनाह से बचना थी, और उन लोगों ने अपना यह मक़सद नबी (स०) के सामने स्पष्ट भी कर दिया था, जैसा कि हदीस की किताबों में मिलता है।

हज़रत अबू हुरैरह (राज़ी०) कहते हैं मैं ने रसूलुल्लाह (स०) से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जवान आदमी हूँ गुनाह में लिप्त हो जाने का ख़तरा है, क्योंकि निकाह के लिए जिन संसाधनों की ज़रुरत है वह उपलब्ध नहीं, इसलिए (निकाह तो कर नहीं सकता लिहाज़ा) मरदाना शक्ति ख़त्म करने की इजाज़त दीजिये, यह सुन कर आपने (गुस्से की वजह से) कुछ नहीं कहा, फिर वही बात कही आपने ने (बहुत ही गुस्से से भरे हुए लेहजे में) कहा, अबू हुरैरह! तक़दीर में जो लिखा है वह तो पूरा हो कर रहेगा, (यानी अगर अल्लाह के इल्म में गुनाह का हो जाना मुक़द्दर हो चुका है तो मरदाना शक्ति ख़त्म हो जाने के बाद भी यह गुनाह होगा, यह मालूम हो जाने के बाद कि यह ख़ुदा को नाराज़ करने वाला काम है) अब मरदाना ताक़त ख़त्म करो या ना करो, क्योंकि उपरोक्त वाक्यांश में (नववी शरह मुस्लिम ,जिल्द 1,पृष्ठ :449 —4451) मरदाना ताक़त ख़त्म करने को हराम होने) की वजह "अल्लाह की बनावट में तब्दीली" और "नस्ल को बढ़ने से रोकना" बताया गया है (जैसा कि ऊपर गुज़रा) इस से नसबंदी का हुक्म भी मालूम हो जाता है, क्यों कि नसबंदी में भी "अल्लाह की बनावट में तब्दीली" यानी एक अहम् अंग को बेफ़ायदा करने का अपराध होता है।

जनकार लोगों को

बताने की ज़रुरत नहीं कि मरदाना ताक़त ख़त्म करने की इजाज़त मांगने वाले सहाबी हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि०) असहाब–ए–सुफ़्फ़ा में थे, जिनकी ग़रीबी और भुखमरी वाली ज़िन्दगी "कहावत" बन गयी थी, उन को कई कई दिन तक खाना भी नहीं मिल पाता था, कमज़ोरी और भूख की वजह से चक्कर आ–आ जाता था और गिर गिर पड़ते थे, इन हालात में शादी के संसाधन प्राप्त होने की दूर दूर तक संभावना न थी, मगर इसके बावजूद खुदा की दी हुई क्षमता बर्बाद कर देना उनके लिए जायज़ नहीं किया गया।

हदीसों में एक और वाक़िया आता है, जिसमें यह है की सामूहिक रूप से अस्मत व सदाचार के लिए और गुनाह से बचने की भावना से कई सहाबा ने भी मरदाना ताक़त समाप्त करने की इजाज़त मांगी, मगर अल्लाह के रसूल (स०) ने उन्हें भी इजाज़त देने से इंकार कर दिया।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) कहते हैं कि एक युद्ध अभियान पर हम लोग रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ थे और हमारे पास कुछ न था। हम ने कहा या रसूलुल्लाह! हमें अपनी मरदाना ताक़त ख़त्म करने की इजाज़त दीजिये (क्यों कि हम जायज़ तरीक़े से अपनी यौन इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए गुनाह में लिप्त होने का खतरा है) मगर आप सल्ल० ने मना कर दिया।

शाह वलियुल्लाह (रह०) का बयान किया हुआ बिंदू (या उनके नज़दीक बर्थकंट्रोल का हुक्म):–

यहां एक और बिंदू भी विचारणीय है, जिसे हकीमुल इस्लाम हज़रत शाह वलियुल्लाह (रह०) ने बयान किया है, वह यह कि शरीयत का (बल्कि देखा जाए तो सामान्य बुद्धि का भी) नियम यह है कि जहाँ व्यक्तिगत हित और जन हितों का टकराव हो वहां जनहित को वरीयता दी जाएगी, निजी हित नज़रअंदाज़ कर दी जायेगी, इसी नियम के अंतर्गत निजी हित के लिए यहां भी मरदाना ताक़त ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दीगयी, क्यों कि इससे जनहित (मानव जाति का विकास) का हनन होता है। हज़रत शाह साहब (रह०) ने ऑप्रेशन के ज़रिये, या दवाओं के इस्तेमाल से मरदाना ताक़त समाप्त कर देने को भी "इख़्तिसा" (मरदाना ताक़त समाप्त करने) जैसा अपराध बताया है, क्योंकि इन चीज़ों का भी नतीजा वही निकलता है जो "इख़्तिसा" का, और हज़रत ने इन चीज़ों को भी अल्लाह की बनावट में तब्दीली ही क़रार दिया है, फ़रमाते हैं: "(अप्राकृतिक तरीकों से इच्छा पूरा करने की तरह) जननांग को काटना , मर्दाना ताक़त को ख़त्म करने वाली दवावों का इस्तेमाल और तबत्तुल वग़ैरह भी ख़ुदाई कारीगरी में तब्दीली करना और मानव जाति के विकास को रोक देना है (इस से भी नसबंदी जैसे क्रिया के ज़रिये बर्थ कण्ट्रोल का हुक्म भी मालूम हो जाता है)।

पूरी बात का ख़ुलासा यह है कि किसी भी हाल में मरदाना ताक़तों को ख़त्म

करने और प्राकृतिक क्षमता व सामर्थ्य को किसी भी तरीक़े से कुचलने या अस्थायी रूपसे निलंबित कर देने की इजाज़त नहीं दी गयी, बल्कि ऐसी हरकत करने वालों को "लई स मिन्ना" कह कर जता दिया गया कि वह यह हरकत करके रसूलुल्लाह (स०) से मानो सम्बन्ध ख़त्म कर लेते हैं, हाँ वक़्ती इलाज के तौर पर रोज़ा रखने की राय दी गयी है।

ऐसी स्थिति में लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि वे कमाई कर के शादी के ज़रूरी खर्चों की उपलब्धता की बराबर कोशिश करते रहें, जैसे ही ज़रूरी खर्चे पूरा कर सकने की संतुष्टि हो जाये निकाह कर लें, (मरदाना ताक़त ख़त्म कर लेने की स्थिति में यह संभावना ही समाप्त हो जाती) इसके साथ ही आश्वासन दिया गया कि इस पाक मक़सद के हासिल करने में अल्लाह तआला मदद फरमा कर कोशिशों को कामयाब बनायेगा, और इस आश्वासन को "अल्लाह पर हक है" का उन्वान दिया गया है।◆◇◆

गाँव वाले .....

आदेशों की उपेक्षा कर देते हैं और समझाने पर भी उसे अंगीकृत नहीं करते, तब ऐसे व्यक्तियों का विनाश अवश्यम्भावी होता है। उन्हें विनष्ट करने के लिए कभी कोई ज्वालामुखी फट पड़ता है। और कभी उन पर आकाश से अग्नि एवं बमों की वर्षा हो जाती है, कभी भूकम्प होता है और उनका समस्त जनपद विनष्ट हो जाता है कभी बाढ़ आ कर सबको जलमग्न कर देती है और कभी बज्रपात उनके लिए मृत्यु का सन्देश सिद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर जिस भाँति चाहता है, उसको विनष्ट कर देता है। रह गया मृत्यु के पश्चात मिलने वाला दण्ड तो वह उसके पश्चात भोगना ही होता है।

2. यदि किसी की समझ में यह आ जाए कि यथार्थ क्या है, और अयथार्थ क्या है, तो फिर उसके लिए मौन धारण करने का औचित्य नहीं, चाहे उसे प्राण का परित्याग ही क्यों न करना पड़े।

3. मोमिन (ईमान लाने वाला) यह नहीं देखता कि सत्य अंगीकृत करने के पश्चात उसकी सांसारिक अवस्था बनेगी या बिगड़ेगी। उसका लक्ष्य ईश्वर की प्रसन्नता और अन्तिम दिन की सफलता होती है। इसी बल पर वह कभी लाखों के विरुद्ध सत्य की पताका फहराने के लिए प्रस्तुत हो जाता है।

(सूरह यासीन की तफ़्सीर से ग्रहीत)

❖❖❖

खिलाफते राशिदा.....

ग़रीबों और ख़ानदान वालों की दिल खोल कर मदद करते थे उनके ज़माने में फ़ौज की व्यवस्था बहुत ऊँचे पैमाने पर पहुंच गई, फुतूहात (विजय) बहुत हुई, जंगी बेड़ा उन्हीं के ज़माने में तैयार हुआ, रिफ़ाहे आम, (लोकहित) के काम बहुत से हुए, नये बाँध बनवाये, ताकि खेती बाड़ी को तरक़्क़ी हो, मस्जिद नबवी बहुत छोटी थी, हज़रत उमर रज़ि0 ने उसकी सीमायें किसी क़दर बढाईं, लेकिन रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी में फ़र्क़ न आने दिया, हज़रत उस्मान रज़ि0 ने मस्जिद को बहुत बढ़ा दिया और पूरी मस्जिद पत्थरों से बनवाई।

❖❖❖

नदवतुल उलमा
पोस्ट बाक्स न0 93, टैगोर मार्ग,
लखनऊ -226007 (भारत)

ندوۃ العلماء
پوسٹ بکس ۹۳ ٹیگور مارگ
لکھنؤ ۲۲۶۰۰۷ (الہند)

दिनांक 25.04.2020 तारीख _____

अहले खैर हज़रात से!

अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि हज़रत मौलाना सैय्यद मो0 राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में दारुल उलूम नदवतुल उलमा अपनी इल्मी व दीनी तालीमी व तरबियती ख़िदमत अंज़ाम दे रहा है, और उन बहुमूल्य सिद्धान्तों एवं नियमों को सीने से लगाये हुए है जिनके लिए नदवतुल उलमा को स्थापित किया गया था, यानी नये ज़माने में इस्लाम की मुअस्सिर और सही तर्जुमानी, दीन व दुन्या की व्यापकता और इल्म व रुहानियत के एकता की कोशिश, फितन–ए–लादीनियत और ज़ेहनी इरतिदाद का मुकाबला, इस्लाम पर एतिमाद और उलूमेइस्लामिया की बरतरी व इम्तियाज़ का ऐलान व इज़हार, दीने हक से वफादारी और शरीअत पर इस्तिक़ामत।

आपसे हमारी अपील है कि वक़्त की इस ज़रूरत और दारुल उलूम नदवतुल उलमा की इफ़ादियत को समझते हुए पूरी फराख़दिली, फ़य्याज़ी और हिम्मत से काम ले कर इन तमाम कामों में भरपूर तआउन व मदद फरमायें कि हिन्दुस्तान में दीन के किलों की हिफ़ाज़त का इससे बेहतर रास्ता और इससे ज़ियादा पायदार कोई सदक़–ए–जारिया नहीं।

जैसा कि आप को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के मौक़े पर दारुल उलूम नदवतुल उलमा के असातिज़ा, सुफ़रा व मुहस्सिलीन आप हज़ारात की ख़िदमत में हाज़िर हो कर सद्क़ात व जक़ात व चन्दे की वसूलयाबी का काम अंजाम देत हैं लेकिन इस वक़्त पूरे मुल्क में क्रोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, ऐसे हालात में सफ़र करना ना मुम्किन है इसलिए आप के चन्दे की वसूलयाबी बैंक द्वारा ही मुम्किन है।

इसलिए आप हज़रात से अपील है कि अपने सद्क़ात व अतियात चेक/ड्राफ्ट और ऑन लाइन, नदवतुल उलमा के खातों में भेजें ऐसे नाज़ुक और मुश्किल हालात में नदवतुल उलमा के साथ आप का तआउन निहायत अहमियत रखता है, अल्लाह तआला हम सब की कोशिशों को कबूल फ़रमाये और उनको हमारे लिए ज़ख़ीर–ए–आख़िरत बनाये। आमीन

(मौलाना) मुहम्मद हमज़ा हसनी नदवी
नायब नाज़िम नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) तक़ीउद्दीन नदवी
मोतमद तालीम नदवतुल उलमा

(प्रोफेसर) अतहर हुसैन
मोतमद माल नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) सईदुर्रहमान आज़मी नदवी
मोहतमिम नदवतुल उलमा

नोटः चेक/ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें:
NADWATUL ULAMA
और इस पते पर भेजें:
NAZIM NADWATUL ULAMA
Nizamat Office, Nadwatul Ulama.
Tagore Marg, Lucknow-226007 (UP)

बरा–ए–करम अतियात भेजने के बाद रसीद हासिल करने के लिए नं0 **7275265518** पर इत्तिला ज़रूर करें।

नदवतुल उलमा
A/C No. 10863759711 (अतियात)
A/C No. 10863759766 (ज़कात)
A/C No. 10863759733 (तअ़मीर)
SBI MAIN BRANCH, LUCKNOW
(IFSC: SBIN0000125)

नोटः नदवतुल उलमा, लखनऊ को दिये गये चन्दे को **Section 80G income Tax act 1961**के तहत छूट प्राप्त होगी।
Online Donation Link: https://www.nadwa.in.donation/ Website: www.madwa.in, Email: nizamat@nadwa.in

उर्दू सीखये —इदारा

नीचे लिखी उर्दू पढ़िये, जहां कठिनाई आए बाद में लिखी हिन्दी से मदद लीजिए

اے مخاطب آپ کے رب نے حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت میں کبھی اُف بھی نہ کہو نہ ان کو جھڑکو ان کے سامنے عاجزی انکساری اور شفقت کے ساتھ جھکے رہو اور ان کے لئے یوں دعا کرو، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا۔

ऐ मुख़ातब आप के रब ने हुक्म दिया कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करो, और अपने माँ–बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उनकी ख़िदमत में कभी उफ़ भी न कहो न उनको झिड़को, और उनसे नर्म कलामी से पेश आओ, उनके सामने आ़जिज़ी, इन्किसारी और शफ़्क़त के साथ झुके रहो और उनके लिए यूँ दुआ करो, ऐ अल्लाह उन दोनों पर रह़म फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में शफ़्क़त से पाला।